अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

नवीन सामाजिक शोध

वर्ष - 10 अंक - 11 (कुल अंक 118) जनवरी 2019

R.N.I. M.P.HIN/2009/29572 ISSN-0975-4431

संपादकीय कार्यालय: 25, रूप नगर कॉलोनी, जे.के. रोड़

भोपाल-462 023 (म.प्र.) दूरभाष : 09300279796, 09425704990

E-mail : naveensamajikshodh@yahoo.com

website : www.naveensamajikshodh.com

संस्थापक प्रधान संपादक

स्व. डॉ. जी. सी. सक्सेना

प्रधान संपादक

राजेन्द्र सक्सेना

प्रबंध संपादक

अभिजीत सक्सेना

संपादक

श्रीमति सविता सक्सेना

उप संपादक

डॉ. संजय अग्रवाल (चिकित्सक)

डॉ. संतोष धुर्वे (समाजशास्त्री)

डॉ. विजय दुबे (वाणिज्य) ग्वा.

[illegible]

डॉ अनुपमा सुरेश

शोध अधिकारी

डॉ यू.पी.शुक्ला

ग्राफिक्स

राज यादव

विदेशों में क्षेत्रीय कार्यालय : (विदेशी विषय विशेषज्ञ संपादक)

1. डॉ. राम भारद्वाज चिकित्सक
पो. बॉ. नं. 161, पोस्टल कोड नं. 119, सहम सुल्तानेट ऑफ ओमान

2. प्रो. डॉ. सुधाकर कोटा अर्थशास्त्री
प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एण्ड मार्केटिंग, स्काईलाईन युनिवर्सिटी, शारजाह, यूएई

3. कविता शुक्ला असिस्टेंट प्रोफेसर,
111, शेख रशीद बिल्डिंग, शेख जायेद रोड़, यूएई, दुबई

4. डॉ. प्रिंस डेविड दंत चिकित्सक
11, अलब्रेस्ट एवेन्यू, माउंट रस्किल, ऑकलेण्ड 1041, न्यूजीलेण्ड

5. श्री सजग चतुर्वेदी
स्टेनफोर्ड, यूनिवर्सिटी, थाईलैण्ड

6. श्रीमति ऋति चतुर्वेदी, कनाडा

7. श्रीमति प्रतिभा, कनाडा

8. डॉ. उमेश रस्तोगी, लंदन

सहयोग राशि : देश में : साधारण अंक 50 /- वार्षिक : 500 /-

आजीवन सदस्यता : 5000 /-

विदेशों में : साधारण अंक : 9 डॉलर, वार्षिक : 90 डॉलर

सारे भुगतान (मनीआर्डर/चेक/ड्राफ्ट) नवीन सामाजिक शोध के नाम से लिये जायेंगे।

चेक से भुगतान करने पर रू. 30/- अतिरिक्त भेजें।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक : राजेन्द्र सक्सेना द्वारा राजा प्रिंटिंग प्रेस ,प्लाट नं.2 लाला लाजपत राय कालोनी,बागदिल कुशाहद्वारा भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित एवं 25, रूप नगर कॉलोनीजे.के. रोड़, भोपाल-462 023 (म.प्र.) । से प्रकाशित। संपादक - श्रीमति सविता सक्सेना।

सभी लेखों में लेखकों के अपने मौलिक विचार है। संपादक अथवा संपादक मंडल का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। हमारा संपादक मंडल पूर्णतः अवैतनिक एवं अव्यावसायिक है। विवाद की स्थिति में सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

नवीन सामाजिक शोध

इस अंक में ....

1. अध्ययनरत बालिकाओं की शिक्षा को ....श्रीमती सुरेखा गॉधी —6

2. Bonus- An analysis of ....Dr Seema Shrivastava—10

3. Cryptocurrencies or Fiat...-Dr. Papia Chaturvedi —17

4. FUGITIVE ECONOMIC..Dr Seema Shrivastava —21

5. शैक्षिक तकनीकी एवं संचार ....निर्मला मालवीय —25

6. The Role of Underutilized Species..Preeti Saxena—35

7. हिन्दी बाल साहित्य का..उषा श्रीवास्तव —41

8. माध्यमिक स्तर के विधार्थियों कीं ....रीना बुनकर —48

9. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित..पंकज पाटिल —57

10. पेंड्रा पठार के भू-आकृति के..अमृता पांडे —64

सलाहकार मंडल

- **प्रो. डॉ. आई.एस. चौहान** पूर्व कुलपति, बरकतउल्लाह एवं भोज विश्वविद्यालय भोपाल-म.प्र. । फोन: 0755-2424777

- **प्रो. डॉ. विनोद पी. सक्सेना** , पूर्व कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर म.प्र. । फोन 0755-2628055

- **प्रो. डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव** पूर्व कुलपति डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर-म.प्र.

- **प्रो. डॉ. रामपाल सिंह** सदस्य सलाहकार यूजीसी (उच्च शिक्षा) भारत सरकार मो. 9425028689

- **,डॉ.आर.एन श्रीवास्तव** पूर्व प्राचार्य, मोतीलाल विज्ञान महा विद्यालय भोपाल मध्यप्रदेश मानव मो.9826286410

संपादक मंडल

- प्रो. [illegible] , विभागाध्यक्ष, [illegible] शा.विदिशा [illegible] कालेज
- प्रो. [illegible] , विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान [illegible] कालेज
- प्रो. [illegible] चौहान , बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल
- प्रो. [illegible] वर्मा , प्राचार्य शा.महाविद्यालय [illegible] जिला सिहोर
- प्रो. [illegible] , विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली-तमिलनाडु (620024)
- प्रो. [illegible] अहमद [illegible] , विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, [illegible] विश्वविद्यालय, सूरत, गुजरात।
- डॉ.ए.के.गर्ग सहायक प्राध्यापक; क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल
- प्रो. डॉ. [illegible] जैन , प्राचार्य शास. [illegible] महाविद्यालय, [illegible]।
- प्रो. [illegible] चौहान , विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग जम्मू एण्ड कश्मीर।
- डॉ. [illegible] पूर्व प्राचार्य [illegible] महाविद्यालय मध्यप्रदेश
- डॉ. रजनीश वर्मा प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय [illegible] सिहोर म.प्र.
- डॉ. [illegible] , सहायक प्राध्यापक, [illegible] विभाग [illegible] कालेज, [illegible] भोपाल।
- डॉ. [illegible] , अनुवांशिकी विभाग, ब.वि. भोपाल।
- डॉ. [illegible] , सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग नूतन कॉलेज भोपाल
- डॉ. [illegible] कुमार , एसोसिएट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ कामर्स एंड मैनेजमेंट [illegible] (पीजी) कालेज पलवल।
- डॉ. अनुपमा [illegible] , सहा. प्राध्यापक, [illegible] कॉलेज, भोपाल।
- डॉ. [illegible] , विक्रम युनिवर्सिटी, उज्जैन।
- डॉ. [illegible] , व्याख्याता, लिम्नोलॉजी ब.वि. भोपाल।
- डॉ. [illegible] , व्याख्याता, हिन्दी विभाग, अ.मु.वि. अलीगढ़-उ.प्र.।
- डॉ. [illegible] , पूर्व प्राचार्य (समाजशास्त्र) कालीचरण पी.जी. कालेज, लखनऊ।
- [illegible] गुप्ता , एल-3/5 बी.डी.ए. कालोनी, [illegible], भोपाल।
- [illegible] सहायक प्राध्यापक [illegible] बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय

संपादकीय

आरक्षित वर्ग के युवाओं की परीक्षा की यात्रा का खर्च देगी सरकार

प्रदेश की नई सरकार ने अब आरक्षित वर्ग के युवाओं को परीक्षा के लिए दिए जाने वाले यात्रा खर्च के रूप में अब बसों का किराया देने का भी फैसला किया है। इसके लिए हाल ही में संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है। इसे लोकसभा चुनाव के पहले इस वर्ग के तहत आने वाले एससी, एसटी, ओबीसी के युवाओं के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है। नए आदेश के तहत अब अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा व साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर रेल के साथ ही निजी या सरकारी बस से सफर करने का पूरा किराया दिया जाएगा। इतना ही नहीं वे यदि जीप, टैक्सी, ऐयर शेयर से यात्रा करते हैं तो उन्हें एक रुपए प्रति किमी की दर से यात्रा की राशि का भी भुगतान किया जाएगा।

थर्ड एसी में भी सफर की सुविधा

प्रथम श्रेणी के पद के लिए लिखित या साक्षात्कार पर एसी तृतीय श्रेणी की पात्रता होगी। जबकि निजी या सरकारी बसों में समस्त श्रेणी की बस से यात्रा की पात्रता भी होगी। इसी तरह प्रथम श्रेणी को छोड़कर अन्य किसी भी पद के लिए लिखित या साक्षात्कार के लिए द्वितीय श्रेणी, साधारण शयनयान व बस में साधारण श्रेणी की पात्रता होगी।

भाजपा सरकार में सिर्फ रेल यात्रा का मिलता था किराया

पूर्व की भाजपा सरकार में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को सीधी भर्ती की परीक्षा व साक्षात्कार में महज रेल यात्रा की पात्रता थी लेकिन नई सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है। वित्त विभाग ने 13 सितंबर 2013 के आदेश में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग ने राज्य शासन के समस्त विभागों, राजस्व मंडल ग्वालियर, सभी विभागाध्यक्षों के साथ ही सभी कलेक्टरों को यह आदेश जारी कर नियम के अनुसार यात्रा राशि देने को कहा है।

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

अध्ययनरत बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन''

श्रीमती सुरेखा गॉधी (शोधार्थी)
शिक्षाशास्त्र विभाग
आईसेक्ट विश्वविद्यालय
भोपाल

प्रस्तावना :–

वैदिक युग से लेकर आज तक भारत में शिक्षा का मूल तात्पर्य यह रहा है कि शिक्षा प्रकाश का स्त्रोत हैं जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रो में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है।

वैदिक काल में मनुष्योन्नति का तात्पर्य उसका सर्वागीण विकास अर्थात् उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं तथा शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास में लगाया जाता था ताकि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके और अनवरत प्रगति के मार्ग में अग्रसर हो सके ।

मानव समाज का समुचित विकास एवं प्रगति तब तक सम्भव नही है जब तक विश्व में महिलाओं की स्थिति में सुधार नही होता है। और उनको उपयुक्त स्थान प्राप्त नही होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतू महिलाओं की समाज में वास्तविक स्थिति देश की सभ्यता और संस्कृति का प्रमुख मापन है। महात्मा गाँधी के अनुसार किसी न किसी प्रकार से पुरूष युगो से स्त्री पर शासन करता चला आ रहा है। इसलिये स्त्री में निम्न होने कि भावना का विकास हो गया है।

संसार के प्रत्येक क्षेत्र में उत्थान पतन का चक्र चलता रहता है। और इसी के नियमानुसार सामाजिक, राजनैतिक परिवर्तनो के कारण नारी क्रमशः उपेक्षित होती गई और आज समाज मे नारी अपने उस आदर एवं सम्मान को बहुत कुछ खो बैठी हैं प्राचीन काल की तुलना में आज की भारतीय नारी की स्थिति दयनीय हैं आज की नारी प्रताड़ित पीड़ित और शोषित हैं वह समाज में प्राप्त आदर सम्मान और गौरव से वचिंत है पुरूष वर्ग हमेशा अपनी बनाई हुई मान्यताओ और परिस्थितियो के आधार पर नारी से हमेशा खिलवाड़ करता रहा है।

अवरोधन की समस्या प्रतिप्राचीन है। शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की ओर हमारा ध्यान दिलाने का श्रेय हर्टाग कमेटी को जाता है। इसके अनुसार अनुतीर्ण छात्रो की संख्या शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करती है। ग्रामीण क्षेत्रो में शैक्षिक अवरोधन की समस्या और भी गंभीर है क्योंकि गरीबी,

अशिक्षा, सामाजिक रूढ़ियों एवं आर्थिक विवशताओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रो में शैक्षिक अवरोधन अधिक होता है।

आचार्य श्रीराम शर्मा ने प्रज्ञापुराण में कहा हैं
भद्रजनाः गृहिण्याश्च महत्वं वर्णितं परमं
वस्तु वस्तु यतोधुर्या गृहणी परिवारगा ।

नारी परिवार की धुरी है उसी की उत्कृष्टता निकृष्टता पर गृहस्थ जीवन का उत्थान पतन निर्भर रहता है इसमें जरा भी संदेह नही है पुरूष तो उसका सहायक मात्र है।

स्त्री शिक्षा की आवश्यकता व महत्व रू–

भारत शताब्दियो से एक संस्कृति प्रधान देश रहा है। यह कथन भी निर्विवाद सत्य है कि स्त्री शिक्षा देश की संस्कृति धर्म ओर साहित्य की आधार शिला होती है जब तक किसी राष्ट्र की स्त्री जाति शिक्षित नही होगी उसकी रचनात्मक शक्तियो का विकास संभव नही हो पायेगा । अतः संस्कृति व साहित्य के क्षेत्र में स्त्री वर्ग के सहयोग एवं नेतृत्व की कमी को स्त्री जाति में शिक्षा के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। समाज और देश में स्त्रीत्व के विकास के लिये साहित्य और संस्कृति की रक्षा हेतु स्त्री वर्ग की शिक्षा आवश्यक है।

आधुनिक समय में समाज और राष्ट्र की प्रगति में स्त्री व पुरूष दोनो का ही सहयोग आवश्यक है इसलिये स्त्री शिक्षा के लिये उचित वातावरण का निर्माण और सुविधाएँ प्रदान करने के लिये स्त्री वर्ग के क्षेत्रो में शिक्षा का विकास एक आवश्यक तत्व है।

स्वतंत्रता के बाद बालिका शिक्षा पर किये धन का उत्पादन लाभ उस अनुपात में प्राप्त नही हुआ जितना लक्ष्य हमने निर्धारित किया था । वर्तमान संदर्भ में बालिका शिक्षा की समस्याओ का निदान कर तेज गति से समाधान की आवश्यकता है इसके लिये बालिकाओ के लिये अधिक से अधिक शिक्षा विभिन्न स्तरो पर देने हेतु प्रबंध किया जाना चाहिए जिससे बालिकाओ के अभिभावको के लिये भार सिद्ध न हो सके ।

राधाकृष्णन कमीशन (1948–49)

शिक्षित स्त्रियों के बिना शिक्षित व्यक्ति नही हो सकते यदि सामान्य शिक्षा को पुरूषो या स्त्रियों तक सीमित रखा जाता है तो स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर दिये जाना चाहिए क्योकि ऐसी दशा मे शिक्षा को निश्चित रूप से अन्य पीढ़ी को प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

कोठारी कमीशन

इस कमीशन ने स्त्री शिक्षा के समस्त पक्षो के विषय में महत्वपूर्ण सुझाव दिये है।

1. बालिकाओ के लिये पृथक विद्यालयो की स्थापना की जाए ।
2. लड़को और लड़कियों का शिक्षा क्षेत्र मे अवसरो की समानता प्रदान कराई जाए।

3. बालिकाओ के लिये छात्रावास व यातायात के साधनो की सुविधाएँ उपलब्ध करवायी जाए ।
4. बालिकाओ के लिये छात्रवृत्ति एवं अन्य व्यवसायिक शिक्षा योजनाएँ आरम्भ की जाए ।

राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958)

भारत सरकार ने श्रीमति दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में 1958 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति गठित की । समिति ने 1969 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । 1964 में इसका पुर्नगठन किया गया ।

1. ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष प्रयास हो ।
2. राज्यो में बालिका एवं स्त्री शिक्षा राज्य परिषदो का निर्माण किया जाना चाहिए।
3. केन्द्रीय सरकार को स्त्री शिक्षा को विशिष्ट समस्या समझकर उसका भार अपने ऊपर लेना चाहिए ।
4. समस्या कथन
5. मध्यप्रदेश के आदिवासी विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कन्या हाई स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाओ की शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारको का अध्ययन ।
6. समस्या के शब्दों का परिभाषिकरण
7. म.प्र. – म.प्र. के आदिवासी जिले है। .
8. बालिका शिक्षा – बालिका शिक्षा का अर्थ शासन द्वारा बालिकाओं को दी जाने वाली शिक्षा, योजनाएँ एवं क्रियान्वयन है।

शोध परिकल्पनाएँ

1. शासकीय कन्या हाईस्कूल में छात्राओं की शिक्षा में सामाजिक कारक बाधक नहीं होते है।
2. बालिका शिक्षा में पारिवारिक कारक बाधक नहीं होते है।
3. पालकों की खराब आर्थिक स्थिति के कारण बालिकाओं की शैक्षणिक उपलब्धी पर प्रभाव नहीं पड़ता है।
4. बालिका शिक्षा पर विषम भौगोलिक परिस्थितियों का भी असर नहीं होता है।
5. शासकीय कन्या हाईस्कूल के स्तर पर शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं औश्र कार्यक्रमों से बालिका शिक्षा पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है।
6. अभिभावकों की शैक्षिक अभिरूची होने से बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धियाँ प्रभावित नहीं होती है।

शोध में निम्नलिखित सांख्यिकी तकनीकियो का प्रयोग किया जायेगा –

7. केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप
8. आवृत्ति बहुभुज

9. संचय आवृत्ति बहुभुज
10. दण्ड आरेख

संदर्भ ग्रंथ सूची

डॉ. रामपालसिंह वर्मा, पृथ्वीसिंह – विद्यालय प्रबंधन व शिक्षा की समस्याएँ

पाठक व त्यागी – शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत

. पारसनाथ – अनुसंधान परिचय

काबरा – राष्ट्रीय शिक्षा नीति

डॉ. लक्ष्मी मिश्रा – म.प्र. में शिक्षा

रामबाबू गुप्त – भारतीय शिक्षा का इतिहास

आर ए शर्मा – शिक्षा अनुसंधान

महाविद्यालयीन पुस्तकालय – पलाश पत्रिका

Bonus- An analysis of disqualification, deduction and recovery

Dr Seema Shrivastava
Prof. and Head
Department of Economics
Government P.G. College B.H.E.L
Bhopal

1.Meaning and Significance

The bonus is usually an extra payment made to the workers for some sort of special pains taken by them during the process of production or some additional services. The main objective for the payment of bonus is to secure regularity of attendance and to encourage them for producing goods of special quality. Bonus is also defined as cash payment made' in addition to wages as a stimulus to extra services on the part of labour. It is regarded as an incentive bonus. 'Bonus' refers to the additional payment as a rightful share of the workers in the profits and has, therefore, attained so much significance in industrial relations. Bonus is usually paid out of profits of the industry and its regarded as a part of workers' wages. The question of the payment of bonus has ever been so important that it cannot be completely avoided, as it has been a major cause for several industrial disputes.

Now let us make it clear whether bonus

(i) is an ex gratia payment which completely depends on the goodwill of the employers and therefore, cannot be claimed as a legal right unless it constitutes a part of the service agreement, or
(ii) is deferred wages payable to the worker to reduce the gap between the wages paid and the living wage standard, or
(iii) is a part of the profits which workers may legally, claim, in view of the

fact that profits are the outcome of the joint efforts made by the capital and labour and, therefore, none of them has the right to enjoy the entire profits exclusively.

Out of these three concepts the first two concepts that may be known as 'an ex gratia payment' and 'deferred wages', have not been supported by the economists and the adjudicators who tend to advocate the view that bonus is not an ex gratia payment and it could be claimed legally by the workers.

The Allahabad High Court in one of its decisions observed in 1954 : "In the conditions under which modern industries function, 'bonus' has now come to be regarded as a right of employees which they can claim from their employers under certain circumstances." Now workers' claim to the payment of bonus has a legal recognition which is essential to attain the objective of socio-economic justice as acknowledged in our Constitution. Bonus is, thus, not an act of charity; but a rightful share in the profits which are earned jointly by both the labour and capital.

2. Determination of Bonus

The bonus payable to labour can be determined only when the amount of available surplus funds in the hands of the employer is traced out clearly. The Labour Appellate Tribunal has evolved a formula for deciding this fund. According to this formula, the gross profits, made by the industry in the year are taken into consideration and out of them the following deductions have been recognised: Provision for depreciation reserves for rehabilitation; 6 percent interest on the paid-up capital; interest at the lower rate on working capital; and payment of income tax. The rest of the amount can be known as the surplus fund available for the year from which the labour can be paid bonus. This formula, approved by the Supreme Court has provided a base for industrial adjudication all over the country in fulfilling the demand of workers' organisations for bonus. The formula, further, holds that the following conditions must be fulfilled before labour's claim to bonus. The conditions are mainly:

(a) wages fall short of living standard and
(b) industry makes huge profits due to the contribution made by labour in increasing productivity.

3. Bonus Commission and Payment of Bonus Act, 1965

In 1961, the Government of India appointed the Bonus Commission under the Chairmanship of Shri M. R. Meher which is tripartite in character. The main objectives of this Commission were to settle all aspects of bonus such as, the nature of bonus, its relation with the profits, the formula for the calculation of bonus, the norms ,and standard of bonus and profits and so on. The Commission submitted its report to the Government of India in Jan, 1964.

According to the Commission, the bonus must be considered as a share of the workers in the prosperity of the firm in which they work. This would tend to bridge the gap between the actual wages and the need-based wages in case of low-paid workers. The Commission rejected the idea that bonus should be incorporated in the wage structure or bonus should be linked with incentive because 'profit bonus' and 'incentive bonus' both are different things. Incentives to efficiency operate only under properly conceived, production bonus schemes, which make for a direct relationship between better production, efficiency and higher earnings.

According to the Commission, Gross Profits were not to be determined after making provisions for depreciation, income-tax and return on capital (7%) and reserves (4%). Nearly 60% of the available surplus was to be earmarked for payment of bonus while the balance was to be utilised under the heads of gratuity, needful reserves, super profits, taxes, etc. According to the formula of bonus, an employee who had worked throughout the year including periods of leave with pay would get a minimum bonus of 4% of his annual total earnings (in, basic Wage and D. A. or Rs. 40 whichever was higher). The maximum limit for the bonus was fixed at 20% of the earnings. This formula of bonus was to be applied both in private and public sectors.

Besides a note of dissent and controversy, the Government of India, however accepted all the recommendations with needful modifications, and later on, it took the shape of the Payment of Bonus Act, 1965.

4. Provisions of Bonus Act, 1965

The Payment of Bonus Act, 1965 has an objective to provide guidelines for the payment of bonus to the workers employed in certain establishments and for settling the matters related therewith. The Act covers the entire country and applies to all factories and also to other establishments in which 20 or more persons are employed. The Act is applicable to all workers excluding apprentices employed on salary or wage not exceeding Rs. 1600 per month and in 1985 this limit was raised to Rs. 2500 per month.

The main provisions of the Act constitute :

(i) eligibility for bonus,
(ii) payment of minimum and maximum bonus,
(iii) time limit for payment of bonus,
(iv) deduction from bonus,
(v) computation of gross profits and surplus allocable for bonus.

5.Recovery of bonus due

1. Where any bonus is due to an employee by way of bonus, employee or any other person authorised by him can make an application to the appropriate government for recovery of the money due.
2. If the government is satisfied that money is due to an employee by way of bonus, it shall issue a certificate for that amount to the collector who then recovers the money.
3. Such application shall be made within one year from the date on which the money became due to the employee.
4. However the application may be entertained after a year if the applicant shows that there was sufficient cause for not making the application within time.

a. Offences and Penalties

For contravention of the provisions of the Act or rules the penalty is imprisonment upto 6 months, or fine up to Rs.1000, or both.

For failure to comply with the directions or requisitions made the penalty is imprisonment upto 6 months, or fine up to Rs.1000, or both.

In case of offences by companies, firms, body corporate or association of individuals, its director, partner or a principal officer responsible for the conduct of its business, as the case may be, shall be deemed to be guilty of that offence and punished accordingly, unless the person concerned proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence

6.The Payment of Bonus (Amendment) Bill, 2015

→ The Act provides for the annual payment of bonus to employees of certain establishments (including factories and establishments employing 20 or more persons). Under the Act, bonus is calculated on the basis of the employee's salary and the profits of the establishment.

→ **Employees eligible for bonus:** The Act mandates payment of bonus to employees' whose salary or wage is up to Rs 10,000 per month. The Bill seeks to increase this eligibility limit to Rs 21,000 per month.

→ **Calculation of bonus:** The Act provides that the bonus payable to an employee will be in proportion to his or her salary or wage. However, if an employee's salary is more than Rs 3,500 per month, for the purposes of calculation of bonus, the salary will be assumed to be Rs 3,500 per month. The Bill seeks to raise this calculation ceiling to Rs 7,000 per month or the minimum wage notified for the employment under the Minimum Wages Act, 1948 (whichever is higher).

→ **Prior publication of rules:** The Act provides that the central government may make rules to implement its provisions. The Bill seeks to mandate prior publication of such rules in the Official Gazette to allow for more public consultation.

7.Payment of Bonus Act not to apply to certain classes of employees. [Section 32]

→ Life Insurance Corporation ,
→ The Indian Red Cross Society or any other institution of a like nature,
→ Universities and other educational institutions ,
→ Institutions (including hospitals, chambers of commerce and society welfare institutions) established not for purposes of profit,
→ Employees employed through contractors on building operations,
→ Employees employed by the Reserve Bank of India,
→ The Industrial Finance Corporation of India,
→ Financial Corporations,
→ the National Bank for Agriculture and Rural Development,
→ the Unit Trust of India,
→ the Industrial Development Bank of India,

8.Disqualification for bonus. [Sec 9]

An employee shall be disqualified from receiving bonus under this Act, if he is dismissed from service for
→ Fraud; or (b) Riotous or violent behaviour while on the premises of the establishment; or
→ Theft, misappropriation or sabotage of any property of the establishment.

9.Payment of minimum bonus. [Sec 10]

→ Bonus should be paid along with the salary
→ Every year, every employer shall be bound to pay bonus to every employee.
→ a minimum bonus which shall be 8.33% cent of the salary or wage earned by the employee during the accounting year or 100/- rupees, whichever is higher.
→ Bonus shall be payable in case of profits or losses in the accounting year.

10.Recovery of bonus due from an employer [Sec 21]

→ If any amount is due to employee as bonus from his employer, he can write and apply to the government for the recovery of the bonus from the employer.

→ application shall be made within one year from the date on which the money became due to the employee from the employer

Bibliography-

Labour Economics- N. Kumar
Labour Problems and Social Welfare- U.C. Kulshrestha

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

Cryptocurrencies or Fiat currencies, which is the future?

-Dr. Papia Chaturvedi
Assistant Professor,
Commerce

A digital money is a type of installment which is like the monetary standards usually utilized, for example, United States Dollar or the British Pound. In any case, in contrast to these monetary standards, digital forms of money are decentralized. There is no focal government to print a greater amount of them out to cause swelling. Indeed, cryptographic forms of money have been defined to progressively diminish underway as time passes by. Bitcoin, for example will never have more than 21 million coins in scattering.

Cryptography is utilized to guarantee the security and protection of exchanges and trades, and to manage the formation of new coins. Cryptography was produced amid the Second World War, after the requirement for secure correspondence emerged. It has experienced numerous advancement with components of software engineering and scientific hypothesis, and now it is utilized in money related framework for decentralized cash.

Numerous other computerized money before bitcoin had the issue of clients twofold spending a similar coin, which was the reason they had a focal server. In any case, since bitcoin is decentralized, it needs agreement. Digital forms of money employees the utilization of a decentralized framework which enables clients to make protected and secure exchanges and store their cash. When the exchange is recorded, there is no returning, it is settled in the blockchain.

The world's first since forever digital currency is bitcoin created by Satoshi very nearly 10 years prior in 2009. A mass generation of cryptographic forms of money has occurred in the course of the most recent decade, bringing about the presence and accessibility of more than 900 digital currencies on the web. While

some are nearly as well known as bitcoin, others have been consigned to the foundation. All these different digital currencies are typically alluded to as altcoins as they are options to bitcoin.

Digital forms of money are produced by means of a procedure known as mining. Mining involves the utilization of PC capacity to break complex scientific issues that make the coins.

The utilization of block chaining innovation is as yet expanding in the realm of exchange and fund. There are more applications that ought to be examined. There are different enterprises, for example, inventory network or pharmaceutical organizations that could most likely profit by this. The most well known cryptographic forms of money right now are Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin, Dogecoin, and Ripple.

Many in the cryptocurrency community have spent years predicting that digital currencies will someday take the place of fiat currencies. But mainstream economists tend to view cryptocurrencies with more than a bit of disdain. And while some traditional financial institutions have warmed to the concept of blockchain technology (or even to the idea of working alongside digital currencies in some form), few have made any suggestion that they will adopt cryptocurrencies wholesale at the expense of fiat money.

While cryptocurrencies have yet to fully take over in the real world in a way that enthusiasts have predicted, there are nonetheless some signs that various currencies are making it in the traditional business space, even if only to a small extent.Of course, if one or more digital currencies does end up "making it" in the real world in this way, it's likely that investors in the cryptocurrency will see great rewards for their early adoption. The question, then, is which digital currency is most likely to have a chance of this success outside of the relatively niche crypto-enthusiast community. Below, we'll explore some of the possibilities.

Bitcoin

For many, the original major cryptocurrency, bitcoin is the one that remains most likely to see mainstream adoption on a large scale. While there is no single authoritative list of companies around the world that accept digital currencies like bitcoin, Coin Telegraph suggests that 54 major companies currently accept one or more digital currencies. Of those, just two don't accept bitcoin. In this way, bitcoin has out-

paced all other digital currencies currently on offer, and in this way, it is the most usable digital currency in the mainstream business world at this point, at least when it comes to payments.

Altcoins

Altcoins, or digital currency alternatives to bitcoin, tend to see lower levels of acceptance among major companies. Coin Telegraph suggests that, compared with 52 major companies accepting bitcoin as of this time, only 25 accept litecoin, 13 accept ethereum, 14 accept bitcoin cash, 15 accept dogecoin and 12 accept monero. It's important to keep in mind, though, that a list of 54 companies is far from exhaustive. For this reason, it's helpful to look to other resources to get a glimpse of where things stand. UseBitcoin is a directory with entries for more than 5,000 businesses and retailers; nearly all of them accept bitcoin, but the large majority don't accept other digital currencies.Coinmap suggests that 136 businesses in New York City currently accept bitcoin payments. Some of these work exclusively with bitcoin, even going so far as to house their own bitcoin ATMs.

In the end, it's difficult to assess which cryptocurrency may be able to break into the mainstream business space most decisively. Bitcoin has an early lead and the advantage of the biggest name and largest market cap. However, altcoins continue to grow in popularity relative to bitcoin. For the time being, no cryptocurrency has effectively overtaken fiat in any part of the world. Will one of the existing coins or tokens be the first to do so? Or will it be up to a new entry into the growing cryptocurrency space to earn that distinction is a question that still stands unanswered.

References

Nadeem, Mohammed. "Bitcoin's Pygmalion Effect: Social Entrepreneurs are a Bit-Curious in Marketing a Special Kind of Property!". International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 2017, Vol. 7, No. 12 ISSN: 2222-6990.

Luther, William J. "Bitcoin and the Future of Digital Payments." The Independent Review, vol. 20, no. 3, 2016, pp. 397-404. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/24562161.

Harwick, Cameron. "Cryptocurrency and the Problem of Intermediation." The Independent Review, vol. 20, no. 4, 2016, pp. 569-588., www.jstor.org/sta-

ble/44000162.
Maupin, Julie. Blockchains and the G20: Building an Inclusive, Transparent and Accountable Digital Economy. Centre for International Governance Innovation, 2017, www.jstor.org/stable/resrep05191.
MURALI, J. "A New Coinage: Can Bitcoin, the Global Online Digital Currency, Be the Precursor of a New Monetary System?" Economic and Political Weekly, vol. 48, no. 38, 2013, pp. 77-78. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/23528549.
Rogoff, Kenneth. "Costs and Benefits to Phasing out Paper Currency." NBER Macroeconomics Annual, vol. 29, no. 1, 2015, pp. 445-456. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/10.1086/680657.
Turpin, Jonathan B. "Bitcoin: The Economic Case for a Global, Virtual Currency Operating in an Unexplored Legal Framework." Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. 21, no. 1, 2014, pp. 335-368. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/10.2979/indjglolegstu.21.1.335.
Marc Pilkington. "Can Global Elites Pave the Way for a New Transnational Unit of Account? A Reflection on the Numerical Nature of Money." World Review of Political Economy, vol. 8, no. 4, 2017, pp. 542-563. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/10.13169/worlrevipoliecon.8.4.0542.
Angel, James J., and Douglas McCabe. "The Ethics of Payments: Paper, Plastic, or Bitcoin?" Journal of Business Ethics, vol. 132, no. 3, 2015, pp. 603-611., www.jstor.org/stable/24703614.
Orrell, David, and Roman Chlupatý. "Changing the Dominant Monetary Regime, Bit by Bitcoin." The Evolution of Money, Columbia University Press, 2016, pp. 196-219. JSTOR, www.jstor.org/stable/10.7312/orre17372.13.
Rice, Denis T. "The Past and Future of Bitcoins in Worldwide Commerce." Business Law Today, 2013, pp. 1-4. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/businesslawtoday.2013.11.06.
Böhme, Rainer, et al. "Bitcoin: Economics, Technology, and Governance." The Journal of Economic Perspectives, vol. 29, no. 2, 2015, pp. 213-238. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/24292130.

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

FUGITIVE ECONOMIC OFFENDERS ACT, 2018

Dr Seema Shrivastava
Prof. and Head
Department of Economics
Government P.G. College B.H.E.L
Bhopal

The Central Government of India introduced the Prevention of Money Laundering Act, 2002 "PMLA",for preventing circulation of laundered money. The Act defines money laundering as a process or activity connected to proceeds of crime, including its concealment, possession, acquisition and projecting or claiming it as legitimate property. This Act allowed for confiscation and seizure of properties obtained from the laundered money, such actions were subjected to the processes of criminal prosecution. This led to many of the persons accused of money laundering, to flee the jurisdiction of Indian courts to avoid criminal prosecution under PMLA and the consequent confiscation of the properties.

Recently the billionaires and millionaires of India have attracted citizen's attention on account of what the Indian Government refers to as the 'loot and scoot' crimes. Right from cricket event organizers (Lalit Modi) liquor barons (Vijay Mallya) to diamond merchandisers (NeeravChouksi) all have been accused of multi crore scams and have left the country secretively. The latest data produced by National Crime Records Bureau shows that the number of economic offences in India have doubled recently As a result of which Fugitive Economic Offenders Act has been passed in 2018.

A Fugitive Economic Offender is a person against whom an arrest warrant has been issued in respect of a scheduled offence and who has left India so as to avoid crim-

inal prosecution, or being abroad, refuses to return to India to face criminal prosecution.

A scheduled offence refers to a list of economic offences contained in the Schedule to this Ordinance. Further, in order to ensure that courts are not over-burdened with such cases, only those cases where the total value involved in such offences is 100 crore rupees or more, is within the purview of this ordinance.

To curb economic offenders from evading the process of Indian law by resorting to relocation to foreign jurisdiction and thereby remaining outside the jurisdiction of Indian courts, the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (FEO) has been passed in the Lok Sabha and in the Rajya Sabha.

Several laws have been passed to regulate financial discipline and recovery of money in case of delinquencies and irregularities.The Reserve Bank of India from time to time has issued circulars where banks and financial institutions were required to submit to it the details of willful defaulters above a specified limit.The incidence of reporting of economic offences have been on a steep rise in spite of the efforts. One possible reason for such rise is the growing proximity of rich and wealthy people in our country with the powerful Center, best described as crony capitalism.

In the past, various laws have been enacted to regulate financial discipline and for recovery of money in the event of delinquencies and irregularities. The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI) provides that if the borrower failed to discharge his liability then the banks without intervention of the courts can recover the secured assets. The Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (RDDBFI) provides that debts, secured or unsecured may be recovered by the Debt recovery tribunal. The recovery officer is authorized to recover the debt by attaching and selling the assets, arresting the debtor etc.

Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016 enjoins invocation of insolvency resolution process in appropriate circumstances comprising a restructuring of the debts through the formulation of a repayment plan

Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA), envisions for confiscation of property derived from or involved in money laundering of proceeds of crime of

a scheduled offence. Under the PMLA the Enforcement Directorate is entitled to provisionally attach the property of the defaulter pending trial.

On conviction in the trial, the property stands confiscated, free from all encumbrances to the Central Government. However, the provision for confiscation is available consequent to the conclusion of trial and can rarely be used expeditiously. Further, the purpose for such confiscation is as punishment for the offence committed and not strictly as a deterrent for any absconding accused to return to India.

Section 37A of Foreign Exchange Management Act, 1999, (FEMA) stipulates that value equivalent, in India may be seized, if any foreign exchange, foreign security or immovable property is held in contravention of Section 4 of the FEMA Act. Consequently, the competent authority may confirm or set aside such confiscation. The order of the competent authority shall continue till disposal of adjudication. If during this process the person brings back the same into India the seizure may be set aside by the competent authority

The doing of economic offences and fleeing to a foreign territory not only undermines the Rule of law in India but also causes a strain on the overall economy. With this background and in an attempt to curb economic offenders from evading the process of Indian law by resorting to relocation to foreign jurisdiction and thereby remaining outside the jurisdiction of Indian courts, the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (FEO) has been passed.

The unique trait about the FEO is that it empowers the Indian Government to confiscate the property of economic offenders absconding from India until they submit to the jurisdiction of the appropriate legal forum.This attribute in the FEO has been introduced in pursuance of India's Ratification of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) in 2011. The UNCAC is a comprehensive anti-corruption convention that includes wide range of corruption offences and aims at garnering international co-operation in criminalizing offences of corruption. The convention recommends non-conviction-based asset confiscation for corruption related cases. Asset recovery is stated explicitly as a fundamental principle of the Convention. Member countries are bound by the UNCAC to render mutual legal assistance towards prosecution of offenders as well as in tracing, freezing, and con-

fiscating the proceeds of corruption.

It has been observed that income earned from illicit activity is routed to other country where the source of income is not questioned. Since the offender has escaped from the respective state he/sheno longer can be held liable in other state due to the principle of statehood. Hence introduction of a Statue, which helps in tracking such offenders, is the need of the hour.The ambit of proceeds of crime under FEO includes the property (within and outside) India acquired from any criminal activity.Hence, FEO clearly aims on capturing the offender's property not only within but also outside India as well, acquired both from legitimate as well as illegitimate means.Recently PMLA Court has declared Mallya as Economic Offender

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

शैक्षिक तकनीकी एवं संचार माध्यम : एक नवीन प्रत्यय (बालिकाओं के विथेष संदर्भ में)

निर्मला मालवीय
समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग,
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,
भोपाल (म.प्र)

शिक्षा जगत में शैक्षिक तकनीकी एक नवीन प्रत्यय के रूप में है। इसकी आधुनिक विचारधारा कुछ समय पहले से ही हमारे सामने उपस्थित हुई है। शैक्षिक शब्द अंग्रेजी भाषा के **Educational Technology** शब्द का हिन्दी रूपान्तरण है। सर्वप्रथम इस शब्द को ब्राइटमोर प्रतिवेदन इंग्लैण्ड में सन् 1950 में अपनाया गय 1 राष्टीय शैक्षिक तकनीकी परिषद् **(National Council ofEducational Technology)** ने इस शब्द की विस्तारपूर्वक विवेचना करते हुए कहा है। कि ''मानव अधिगम प्रक्रिया को विनियोग प्रणाली मूल्या ंकन प्रविधि तथा सहायक सामगि ्रयों के माध्यम से विकसित करना ही शैक्षिक तकनीकी है।'' इस तरह हम कह सकते है ं कि श ैक्षिक तकनीकी वर्तमान उपस्थित ज्ञान को क्रमबद्ध रूप में कई शैक्षिक समस्याओं पर प्रयुक्त करने की प्रक्रिया है। इसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 2 वर्तमान समय मे ं जिन बालिकाओं को पारिवारिक स्तर पर उन सभी अवसरों को उपलब्ध कराया जाता है जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास होता है, वे बालिकाएँ केवल खेलकूद में ही नहीं बल्कि शासन, प्रशासन, राजनीति, उद्योग, शैक्षिक तकनीकी एवं प्रब ंधकीय क्षेत्रों में अपना वर्चस्व कायम कर रही हं। वे बालिकाएँ अपने संघर्ष के बल पर वर्चस्व कायम कर रही हैं। स्वयं के साहस से आगे आकर, समाज में स्वयं को स्थापित करती हैं तथा समाज मे ं बालिकाओं के प्रति व्याप्त दुर्भावनाओं को समाप्त करने की कोशिश करके समाज में स्वयं को एक उदाहरण के रूप मे ं प्रस्तुत करती हैं।

इस प्रकार यह अवसर, संरक्षण तथा समानता की बात है ना कि यह, कि पुरूष ज्ञानी और बलवान होते हैं तथा स्त्री अज्ञानी और कमजोर।

विभिन्न विद्वानों ने शैक्षिक तकनीकी सम्बन्धी परिभाषाएँ दी है।

ई.एम.बूटर के अनुसार ''ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया शैक्षिक तकनीकी है।''

ऐशवी के अनुसार ''कोई भी तकनीकी जो विद्यार्थी में अधिगम को कम समय में बढ़ाये एव ं अध्यापक कार्य मे ं कम समय लेकर ज्यादा उत्पादन बढ़ाये वही शेक्षिक तकनीकी है।''

एस. एस. कुलकर्णी के अन ुसार ''विज्ञान तथा तकनीकी के नये प्रयोगों एव ं अविष्कारों को शिक्षा की प्रक्रिया प्रयुक्त करना ही शैक्षिक तकनीकी है।

''जी.ओ.एम. लीथ के अनुसार ''शेक्षिक तकनीकी अधिगम तथा अधिगम की दशाओं में वेज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है, जिसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावप ूर्ण बनाने ओर सुधार करने के लिए प्रयुक्त किया जाता हे।

शेक्षिक तकनीकी की प्रकृति

शेक्षिक तकनीकी की प्रकृति निम्नानुसार है–

शेक्षिक तकनीकी एक व्यापक प्रत्यय

शेक्षिक तकनीकी प्रत्यय बहुत व्यापक है। इसके अन्तर्गत तकनीकी के विभिन्न तरह यथा–व्यावहा. रिक तकनीकी, अनुदेशात्मक तकनीकी,
प्रणाली उपागम इत्यादि प्रत्यय शामिल किये जा सकते हे।

शिक्षा तकनीकी व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक विज्ञान

शेक्षिक तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक विज्ञान हे, जिसमे ं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से सम्बन्धित कई प्रयोगों
किये जा सकते हे ं।

शेक्षिक तकनीकी द्वारा उत्तम शिक्षण पद्धतियों का विकास

शेक्षिक तकनीकी के माध्यम से शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अधिगम को प्रभावशाली बनाने हेतु उचित शिक्षण पद्धतियों, प्रविधियों ओर प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।

शेक्षिक तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी दक्षताओं के विकास में सहायक

शेक्षिक तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए विज्ञान, इन्जीनियरिंग, व्यावहा. रिक विज्ञान मनोविज्ञान तथा उनके विभिन्न आविष्कारों, उपलब्धियों ओर निष्कर्षों को प्रयुक्त करती है जिसके अन्तर्गत मशीनी उपकरण यथा–फिल्म प्रोजेक्टर, टेपरिकॉर्डर, दूरदर्शन एवंव्यावहार परिवर्तन के मनौविज्ञानिक सिद्धान्त शामिल होते हें।

शेक्षिक तकनीकी शिक्षण–प्रशिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित तथा प्रभावशाली रूप प्रदान करती है। इसी के माध्यम से शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती हे। इसके मुख्य उद्देश्य निम्न हें –

1 ब्राइटमोर प्रतिवेदन इग्लैण्ड से (1950)
2 राष्टीय शेक्षिक तकनीकी परिषद्
3 जी.ओ.एम. लीथ शेक्षिक तकनीकी अधिगम

1. शेक्षिक उद ्देश्यों का व्यावहारिक रूप में निधा ारण तथा परिभाषीकरण करना।
2. ज्ञान का प्रचार तथा प्रसार करना।
3. सीखने हेतु विधियों तथा प्रविधियों का क्रमबद्ध विकास करना।
4. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना।
5. मूल्या ंकन से पूर्व प्रयोग करना
6. छात्र बालिकाओं के उपलब्धियों का मूल्या ंकन करना।

विशेषताएँ

शेक्षिक तकनीकी की विभिन्न परिभाषाओं से शेक्षिक तकनीकी के संदर्भ में निम्न विशेषताएँ स्पष्ट से परिलक्षित होती है। –

1. शेक्षिक तकनीकी, विद्यालय को एक प्रणाली के रूप में मानती हे।
2. शेक्षिक तकनीकी का उद्देश्य शिक्षण, शिक्षक–शिक्षार्थी तथा अधिगम के मध्य समायोजन स्थापित कर, शिक्षण कार्य को ज्यादा सरल ओर स्पष्ट बनाना हे।
3. शेक्षिक तकनीकी का सम्बन्ध शिक्षा की समस्याओं, उनके विश्लेषण, उनके निराकरण के लिए शोध एवं शिक्षा के सुधार सें है।
4. शेक्षिक तकनीकी प्रभावशाली अधिगम हेतु विधियों, प्रविधियों के विकास पर बल देती हे।
5. शेक्षिक तकनीकी में शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिगम का स ंगठन शामिल होता हे।
6. शेक्षिक तकनीकी अधिगम स्त्रोतों का संगठन करने हेतु उपागम को अनुशासित तथा व्यवस्थित करती हे।
7. शेक्षिक तकनीकी वातावरण, संसाधनों तथा विधियों के नियन्त्रण द्वारा अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाती हे
8. शेक्षिक तकनीकी शिक्षाशास्त्र का ही एक अंग है।
9. विज्ञान अर्थात् क्रमबद्ध तथा सुसंगठित ज्ञान शेक्षिक तकनीकी का आधार है।
10. शेक्षिक तकनीकी शिक्षा विज्ञान एवं शिक्षण कला की देन है।
11. शेक्षिक तकनीकी, शिक्षा पर विज्ञान एव ं तकनीकी के प्रभाव का अध्ययन करती हे।
12. शेक्षिक तकनीकी में विज्ञान के व्यावहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है।
13. शेक्षिक तकनीकी लगातार विकासशील तथा प्रयोगात्मक विधि है।

14. शेक्षिक तकनीकी का प्रमुख उद्देश्य–शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना है।

शेक्षिक तकनीकी का महत्व

शेक्षिक तकनीकी का महत्व निम्न तरह है :–

1. शेक्षिक तकनीकी ने अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रभावशाली शिक्षक तैयार करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसकी मदद से अध्यापक प्रशिक्षण की नवीनतम विधियों, जैसे–सूक्ष्म शिक्षण, टी समूह प्रशिक्षण तथा सिमुलेटेड प्रशिक्षण, विडियो टेप, बन्द परिपथ दूरदर्शन आदि का प्रयोग करके अध्यापक प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है।
2. शेक्षिक तकनीकी विभिन्न विषयों–मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, अभियान्त्रिका एवं अन्य सामाजिक तथा वैज्ञानिक विषयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का प्रयोग कर, अधिगम सुविधाओं में वृद्धि करती है। और एक–दूसरें के समीप लाती हे।
3. शेक्षिक तकनीकी की मदद से पत्राचार पाठ्यक्रम का प्रयोग शेक्षिक प्रगति में सफलतापूर्वक किया जा सकता है; जैसे अभिक्रमित अनुदेशन की मदद से पत्राचार पाठ्यक्रम को ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है।
4. शेक्षिक तकनीकी के प्रयोग से महान व्यक्तियों एवं शिक्षाविदों के विचारों को मौलिक रूप से वंचित किया जा सकता है तथा समय ओर आवश्यकताओं उन मोलिक विचारों को समाज के सामने पेश किया जा सकता है।; जेसे टेपरिकार्डर की मदद से शिक्षाविदों के भाषणों को टेप करके पेश किया जा सकता हे।
5. शेक्षिक तकनीकी शिक्षा के अनोपचारिक साधनों के प्रसार में अधिकाधिक बल देती हे। जैसे, आज हम रेडियो, टेलीविजन अथवा टेपरिकार्डर आदि के माध्यम से बहुत दूर बैठे व्यक्तियों को रोचक तथा तथ्यपूर्ण, अर्थपूर्ण तथ्यों की जानकारी देकर, उन्हें शिक्षित कर सकते है।
6. शेक्षिक तकनीकी की मदद से शिक्षा को जन–जन तक दूरदराज के गाँवों में पहुंचाया जा सकता है। यह निरक्षरता को दूर करने का एक महत्वपूर्ण साधन हे। प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार भी इसका मदद से आकर्षण तथा रूचिपूर्ण ढंग से किया जा सकता है।
7. शेक्षिक तकनीकी शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावशाली तथा सार्थक बनाने के योग देती है।
8. शेक्षिक तकनीकी की मदद से शेक्षिक प्रशासन तथा प्रबन्ध की समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक आधार पर किया जा सकता हे।

शेक्षिक तकनीकी का कार्य–क्षेत्र शेक्षिक तकनीकी का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसके अंतर्गत विषय में शामिल की जाने वाली साम्रगी का निर्धारण तथा इसके कार्य–क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र में शेक्षिक तकनीकी का कार्य–क्षेत्र निम्न हे।–

शेक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण

शेक्षिक तकनीकी द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों का निर्धारण किया जा सकता है तथा इन उद्देश्यों को व्यावहारिक शब्दावली में भी लिख जा सकता हे। इन उद्देश्यों को निधा र्रित करके व्यक्तियों अथवा बालिकाओं की आ ंकाक्षाओं तथा शेक्षिक जरूरतों को पूरा किया जा सकता है।

अध्यापन–अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण

एस.एस. कुलकर्णी के अनुसार, शेक्षिक तकनीकी के कार्य क्षेत्र निम्न हैं–

1. शिक्षण–अधिगम का विश्लेषण करना। इस प्रक्रिया में अदा से लेकर प्रदा तक के सभी कार्य करने वाले तत्वों का विश्लेषण किया जा सकता है।
2. इन तत्वों से संभव कार्यों की जाँच की जा सकती हे।
3 इन तत्वों की ढंग से व्यवस्था करना, जिससे प्रभावशाली परिणाम प्राप्त है।

व्यूह–रचनाओं तथा युक्तियों का चयन

शेक्षिक तकनीकी द्वारा शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया हेतु प्रयोगों की जाने वाली व्यूह रचनाओं तथा युक्तियों का चयन एवं विकास बड़ी सुगमता से किया जा सकता है। शेक्षिक तकनीकी, शिक्षण प्रतिमानों का ज्ञान, विभिन्न प्रविधियों का ज्ञान तथा उनके चयन में मदद कर सकती है।

दृश्य–श्रव्य सामग्री का चयन,

उत्पादन तथा उपयोगशेक्षिक तकनीकी के आधार पर ही विभिन्न तरह की दृश्य–श्रव्य साम. ग्रियों का चयन, उत्पादन तथा उनभोग किया जा सकता है। इन सहायक सामग्रियों की संरचना तथा उनकी कार्य–प्रणाली में भी शेक्षिक तकनीकी का योगदान शामिल किया जा सकता है।

पृष्ठ–पोषण में मददगार

पृष्ठ–पोषण का प्रमुख लक्ष्य म ूल्यांकन होता है। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली तब तक सफल नहीं मानी जाती, जब तक उसका मूल्या ंकन नहीं होता। यह मूल्या ंकन शेक्षिक उद्देश्यों की पृष्ठ–पोषण द्वारा बालिकाओं तथा शिक्षकों को उनके अधिगम एवं शिक्षण विधियों की सफलता के बारे में जाँच की जाती हे ओर त्रुटियों आदि के बारें में पुनवि र्चार किया जा सकता है। शेक्षिक तकनीकी द्वारा मूल्या ंकन अथवा पृष्ठ–पोषण की विधियों का चयन, विकास एवं उनकी उपयोगिता संभव हो सकती है।

प्रणाली उपागम का उपयोग

शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न उपप्रणालियों के मूल्यांकन हेतु प्रणाली उपयोग के प्रयोग में शेक्षिक तकनीकी मददगार हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र की ये उप–प्रणालियो कक्षा में अथवा कक्षा के बाहर, पर विद्यालय–वातावरण में ही प्रयुक्त होती हे। इन प्रणालियों के तत्वो ं एवं उनकी कार्य पद्धति के अध्ययन में शेक्षिक तकनीकी की मुख्य भूमिका हो सकती है।

शेक्षिक तकनीकी तथा शिक्षक–प्रशिक्षक

शेक्षिक तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभा सकती है। इसके लिए शिक्षण अभ्यास प्रतिमानों की रचना, सूक्ष्मशिक्षण अनुरूपित, प्रणाली उपागम का होना जरूरी हे।

सामान्य व्यवस्था, परीक्षण तथा अनुदेशन में प्रयोग

शैक्षिक तकनीकी की प्रयोग हम सामान्य व्यवस्था, परीक्षण तथा अनुदेशन के कार्य–क्षेत्रों में भी कर सकते है।

मशीनों तथा जन–संपर्क माध्यमों का उचित प्रयोग

शेक्षिक तकनीकी का कार्य–क्षेत्र मशीनों अन्य जनसंपर्क माध्यमों तक विस्तृत है। शेक्षिक तकनीकी इन मशीना (हार्डवेयर) उपकरणों के उपयोग हेतु कार्य कर सकती है। इन मशीनों में रेडियो, दूरदर्शन, टेपरिकार्डर, फिल्म प्रोजेक्टर तथा सेटेलाइट आदि शामिल है। शेक्षिक तकनीकी इन सभी हेतु आधार तेयार करती है।

शेक्षिक तकनीकी एवं अध्यापक

शेक्षिक तकनीकी एक शिक्षक का सफल अध्यापक बनाने तथा अपने कार्यों को सही ढंग से सम्पादित करने में निम्न रूप से मदद करता है–

4एस.एस.कुलकर्णी, शेक्षिक तकननीकी के कार्य

शेक्षिक तकनीकी शिक्षण को वेज्ञानिक आधार प्रदान करके इसे सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करती है। इससे शिक्षक को अपनी शिक्षण क्रियाओं की उचित व्यवस्था करने में मदद मिलती है।

उद्देश्यों के आधार पर शेक्षिक तकनीकी, कक्षा शिक्षण स ंबंधी विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करने तथा उन्हे ं व्यवहार रक शब्दावली में लिखने में शिक्षक मदद करती हे।

शेक्षिक तकनीकी, विज्ञान, कला तथा मानवीय गुणों को आत्मसात करने वाले पाठयक्रम का निर्माण करती है। शिक्षक इसी आधार पर छात्रों हेतु अनुदेशात्मक सामग्री का चयन तथा विश्लेषण

करता है। एवं उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है। इस कार्य हेतु शेक्षिक तकनीकी शिक्षण सिद्धान्तों तथा शिक्षण सुत्रों के रूप मे ं अध्यापक की मदद करती हैं।

शेक्षिक तकनीकी उचित शिक्षण युक्तियाँ तथा साधनों का पता लगाती हे। एवं शिक्षक को उचित शिक्षण अधिगम सामग्री तथा साधनों की संरचना, कार्य–प्रणाली ओर प्रयोग की जानकारी कराती है।

शेक्षिक तकनीकी अधिगम मनोविज्ञान के विकास द्वारा बालिकाओं की व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगाती है। इसकी मदद से शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं (मानसिक स्तर, रूचियों, योग्यताओं तथा आवश्यकताओं) के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया का नियोजन करता है एवं पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करता हे।

शेक्षिक तकनीकी शेक्षिक वातावरण में उपस्थिम प्रतिकूल परिस्थितियाँ की सम्भावना का पता लगाकर उन्हें दूर करने के तरीके बताती है जिससे शिक्षक को शेक्षिक वातावरण पर नियन्त्रण बनाये रखने में मदद मिलती है।

शेक्षिक तकनीकी दूरदराज के पिछड़े इलाकें के जन सामान्य की शिक्षा को सुविधाएँ प्रदान करने हेतु नई–नई युक्तियों को खोजती है। तथा उनका विकास करती है। इसी के कारण आज शिक्षक शिक्षा में रेडियों, टेलीविजन, टेपरिकार्डर आदि का प्रयोग कर रहे है तथा दूरदराज में बैठे लोग इसका लाभ उठा रहे है।

शैक्षिक तकनीकी बालिकाओं में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने का कार्य करता है। इस संबध में कक्षा शिक्षण अधिगम के परिणामों की जाँच करने हेतु विभिन्न मूल्यांकन तकनीकों को विकसित करती है, जिनकी मदद से शिक्षक अपने शिक्षण अधिगम कार्य के परिणामों की जाँच कर सकता है। शैक्षिक तकनीकी की मदद से शिक्षक के व्यवहार का मूल्या ंकन तथा मापन हो सकता है। इसके सन्तोषजनक परिणाम न आने पर शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयत्न करता है।

बालिकाओं की कमजोरियों का निदान कर प्रतिपुष्टि प्रदान करना उनमें सुधार लान े हेतु श ैक्षिक तकनीकी ने कई प्रविधियाँ विकसित की है। इनके प्रयोग से अध्यापक अपने छात्रों को उचित प्रतिपुष्टि प्रदान करता है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षण अधिगम में यथेष्ठ सुधार लाकर उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। शैक्षिक तकनीकी नवीन शिक्षण विधियों, तकनीकी तथा व्यूह–रचनाओं को विकसित करती है। एवं उनके प्रयोग के बारे में अध्यापक का मार्गदर्शन करती है। इससे शिक्षक को अपने शिक्षक कार्य हेतु विषय–वस्तु के प्रस्त ुतीकरण से संबंधित विशिष्ट विधियाँ, युक्तियों तथा व्यूह–रचनाओं का चयन करने व प्रयोग करने व प्रयोग करने में मदद मिलती है।

शैक्षिक तकनीकी प्रथम उपागम

शैक्षिक तकनीकी प्रथम अथवा कठोर उपागम को दृश्य–श्रव्य सामग्री अथवा मशीनी प्रणाली के रूप में भी जाना जा सकता है। भौतिक विज्ञान तथा अभियान्त्रिकी इस तकनीकी का उद्गम स्त्रोत है।

शिक्षा में तकनीकी तथा शिक्षा की तकनीकी जिन दो सम्प्रत्ययों का वर्णन शैक्षिक तकनीकी के संदर्भ में किया जाता है, उनमें से यह शिक्षा में तकनीकी हेतु प्रयुक्त की जाती है। विज्ञान एवं तकनीकी विकास के कारण रेडियो, टेलीविजन, टेपरिकार्डर, प्रोजेक्टर तथा कम्प्यूटर आदि जिन मशीनी उपकरणों का आविष्कार किया गया है उन सभी की इस तरही की शैक्षिक तकनीकी में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी तकनीकी नेशिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मशीनीकरण कर दिया है। शिक्षण मशीन तकनीकी के द्वारा अध्यापक कम से कम समय में एक साथ ज्यादा से ज्यादा छात्रों का` शिक्षा प्रदान कर सकता है। इसका स ंबंध सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष से होता है।
इस तकनीकी के द्वारा ही ज्ञान का` संचित करना, दूसरी पीढ़ी तक पहुँचना अथवा सम्प्रेषित करना तथा ज्ञान का विस्तार करना सम्भव हो सका है।

शैक्षिक तकनीकी प्रथम ने शिक्षा जगत में कई क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं। दूर–दूर तक फैले, उपेक्षित तथा पिछड़े हुए इलाकों में रहने वाले जनसम ुदाय तक शिक्षा सुविधाएं पहुँचाने का कार्य इस तकनीकी के सम्प्रेषण तथा संचार साधनों के द्वारा ही किया गया है।

शैक्षिक तकनीकी द्वितीय उपागम

यह तकनीकी उपागम सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान तथा विशेषकर अधिगम के मनोविज्ञान की आधारशिला पर खड़ा है। मेल्टन 1959 के अनुसार यह तकनीकी इस मान्यता पर आधारित है कि अधिगम का मनोविज्ञान अनुभव के कारण व्यवहार में हर तरह के स्थायी
परिवर्तन, जिसमें बच्चों का स्क ूली अन ुभव आदि भी शामिल है, को अन्तनि ंहित करता है। तकनीकी तथा मशीनी उपक्रम रेडियां, टेलीविजन, शिक्षण मशीन आदि जो कठोर उपागम है, उनके माध्यम से प्रयोग में लायी जाने वाली शिक्षण सामग्री, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, शिक्षण विधियॉ, युक्तियॉ आदि मृदुल या सॉफ्टवेयर उपागम है।

<u>मेल्टन 1959</u>

मृदुल उपागम तकनीक के माध्यम से नवीन विशिष्ट शिक्षण विधियों, प्रविधियों, तकनीकों, युक्तियों तथा व्यूह–रचनाओं का निर्माण और विकास किया जाता है। यह तकनीक शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को रूचिकर, सरल, प्रभावशाली एवं मृदुल बनाती है। अतएव इसे मृदुल उपागम नाम दिया गया है।

इस तकनीकी के अन्तर्गत ही कार्य विश्लेषण, बालिकाओं के शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारप. रक शब्दावली में लिखना, बालिकाओं के प्रारम्भिक व्यवहार का परीक्षण करना, पुनर्बलन देना तथा शिक्षण–कार्यों का मूल्या ंकन करना आदि क्रियाओं के बारे में विचार–विमर्श किया जाता है। इस तरह शिक्षण अधिगम से संबंधित सभी तरह की क्रियाओं का सम्पादन इसी तकनीकी के द्वारा किया

जाता है। अतएव अनुदेशात्मक तकनीकी, शिक्षण तकनीकी तथा व्यवहार तकनीकी इसी तकनीकी की परिधि के अन्तर्गत आती है।

हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के आधारभूत सिद्धान्त

हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के निम्न आधारभूत सिद्धान्त है :

1. दोनों ही श`क्षिक तकनीकी के सिद्धान्तों पर आधारित है।
2. दोनों ही तकनीकी के नवीन आयाम हैं।
3. 'हार्डवेयर' तकनीकी के इन्जीनियरिंग सिद्धान्त पर एव ' 'सॉफ्टवेयर' सीखने के सिद्धान्त पर आधारित है।
4. दोनों ही 'हाड 'वेयर' एवं 'सॉफ्टवेयर' तरीक` वैज्ञानिक धारणा पर आधारित है।
5. दोनों ही तथ्य शिक्षण तथा ज्यादा सीखने के सिद्धान्त का` व्यावहारिकता प्रदान करते है।
6. 'हार्डवेयर' सहायक सामग्री द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया को ज्यादा व्यावहारिक बनाया जाता है।
7. 'सॉफ्टवेयर' तरीका शिक्षण–प्रक्रिया को यान्त्रिक बनाता है। इस के लिए इसमें सभी इंजीनियरिंग तकनीकी यन्त्र टेप, दूरदर्शन, स्लाइड प्रोजेक्टर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है।
8. सॉफ्टवेयर तरीका मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त पर आधारित रहकर व्यवहार को नियंत्रित तथा परिवर्तित करता है। इसमें प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री– समाचार–पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएँ, शैक्षिक खेल, फ्लेक्स इत्यादि हैं।
9. 'सॉफ्टवेयर प्रक्रिया' साधन द्वारा छात्रों के व्यवहार को नियन्त्रित किया जाता है।
10. 'सॉफ्टवेयर' 'अभिक्रमित अध्ययन' का परिणाम है। इस अभिक्रमित अधिगम का प्रयोग बी.एफ. स्किनर एवं सिडनी और प्रैसी ने शिक्षा में आत्म–शिक्षण सामग्री के विकास के लिए किया था।

शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबन्ध को प्रभावशाली बनाने हेतु उपागम प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तीनों प्रणालियाँ अथवा उपागम एक–दूसरे से जुड़ी हुई है। बालिकाओं के अपेक्षित व्यावहा. रिक परिवर्तन के लिए ये तीनों उपागम महत्वपूर्ण हैं।

सारांशतः बालिकाओं के जीवन का परिदृश्य सकारात्मक नहीं है। बाहरी चमक–दमक के पीछे छिपी विडम्बनाँए अत्यधिक हृदय विदारक हैं। बालिकाओं की आज भारतीय–समाज में जो स्थिति हैं, उसे यदि उपर्युक्त विवेचन के संदर्भ में देखें

संदर्भः—

अग्रवाल जगदीश चन्द्र 1994ः ''राष्टीय शिक्षा नीति प्रभात प्रकाशन, दिल्लीः PP.17.86.
गुप्त घनश्याम 1995ः' 'मध्यप्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में वैकल्पिक शिक्षाकरणः शैक्षणिक योजना के लिए एक उदान्त चिन्तन'' **Bulletin of the tribal Research Institute, Bhopal, Vol.XXIII, No. 2 PP.1-10.**
गुप्ता एस.के. एवं बाजपेयी सुनील 1997 ''आदिवासी एवं सामान्य हाईस्कूल बालकों के व्यक्तित्व प्रतिमानों के संदर्भ में समायोजनात्मक पक्ष का तुलनात्मक अध्ययन'' Bulletin of the Tribal Research Institute, Bhopal, Vol- XXV, No-2, PP-16-21. Leclercq Francois (2003): "Education Guarantee scheme and primaray schooling Madhya Pradesh". Economic Political weekly, May 10, PP. 1855-1869.
मध्यप्रदेश शासन 2007 : प्रशासकीय प्रतिवेदन, भोपालः आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, **PP.** 10—18.
मेल्टन 1959ः

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

The Role of Underutilized Species for the Ongoing Climate Change with Reference To Bryophyte

Preeti Saxena (Asst.Prof.)
preetigprc@gmail.com
Department of Botany, Gandhi
.P.R.College,
D-1 Danish Nagar, Bhopal

ABSTRACT

Underutilised crops are cultivated plant species that have been used for centuries or millennia for their food fibre, fodder, oil or medicinal properties, but have been compact in important over time owning to particular supply and use constraints. These can include poor shelf life, unrecognized nutritional value, poor consumer awareness and reputational problems (sometimes due to the modernization of agricultural practices or climate change).

Swift climate change is extensively acknowledged as the utmost challenge facing life on earth. The potential impact of climate change on the broad collection of underutilized plant species has not been assessed. The impacts of climate vary on wild underutilized species, will vary, depending on their natural distribution, nature of predicted changes, adaptive and resilience capacities, ability to migrate, dispersal capacity, environment and ecology of their new bioclimatic envelopes and their ability to survive in them and colonize new areas.

KEY WORDS: underutilised plant, climate change, resilience.

INTRODUCTION

By "underutilized species" we refer to those species whose potential to recover people's livelihoods, as well as food security and sovereignty, is not being fully realized because of their partial competitiveness with product crops in mainstream agri-

culture. While their potential may not be fully realized at national level, they are of significant importance locally, being highly adapted to marginal, complex and difficult environments and contributing significantly to diversification and resilience of agro ecosystems. This means they are of considerable interest for upcoming adaptation of agriculture to climate change. Underutilized species consist of not just food plants but also many other species-wild or cultured-used as sources of oil, fuel, fiber, fodder, beverages, stimulants, narcotics, ornamental, aromatic compounds, and medicine1 .

IMPORTANCE OF UNDERUTILIZED SPECIES: OVERVIEW

Underutilized plant help agriculture to adapt to environment change is through their involvement in enhancing the diversification and flexibility of agro ecosystems in order to withstand the impacts of environment change scenarios (e.g., drought and increased Frequency and intensity of tremendous climate events such as cyclones and hurricanes). A good example is three crops -rice, maize and wheat - account for about 50% of the world's utilization of calories and protein2. About 95% of the world's food needs are provided by just 30 species of plants3. In stark contrast, at least 12,650 species names have been compiled as edible4. Underutilized plants are those that could be - and, in many cases, historically have been - used for food and other uses on a big scale. Such crop species have also been described as "small", "orphan", "promising" and "little-used".

METHODOLOGY

1. RENEWABLE ENERGY SYSTEM

Renewable energy is a mini-grid for electricity distribution allows basic usage of electricity in rural areas for lighting, refrigeration, education, and communication which benefits from the process of cultivating and marketing of underutilised crop, thereby increasing economic productivity and creating new income generation opportunities for the rural communities. Despite the advantages, Renewable Energy Systems are often considered the high cost option especially with the high capital costs of implementation5.

2. PRECISION AGRICULTURE

Precision agriculture optimizes agricultural actions in terms of crop science, environmental safety and economics. Precision agriculture matches farming activities more closely with the needs of the crop (water and fertiliser inputs), while at the same time dropping the environmental footprint formed during farming (limiting leaching of nitrogen). This will chiefly boost the competitiveness of the crop efficiently due to proper management of fertiliser usage and other inputs based on crop needs. Through precision agriculture, could solve the problem of incomplete scientific knowledge on underutilised crops and boost the yield of crops without the requirements of intensive labour intervention. Precision agriculture would bring benefits to the supply side of underutilised crops production6.

ENHANCING USE OF UNDERUTILIZED SPECIES

Underutilized plant which can be translated into activities to generate additional income to poor farmers and forest dwellers in fewer favoured environments around the world. In order to meet this purpose it is essential to take into consideration some specific points7:

MANY UNDERUTILIZED SPECIES HAVE VARIOUS USES AND DO NOT BELONG TO ANY ONE SPECIFIC RECEIVE CATEGORY OF CROPS (ORNAMENTAL, FOOD, MEDICINAL etc.). The key to unlock their true Potential rests in our capacity to harness their multiple uses, and traditional, single-use approaches are not the best way to get their complete valorisation. The analyses of social and economic useful traits present in underutilized species should suitable knowledge and be systematically addressed

UNDERUTILIZED SPECIES ARE BASICALLY GEARED TO THE MARKET, WHILE OTHERS ARE VITAL FOR SUBSISTENCE FARMING. Underutilized species which are vital for subsistence farming and therefore will not produce cash income, it is not realistic to expect an access to external inputs. Underutilised species, examine and development activities will also have to be funded from the public sector. It is recognized though, that a few species which are chief for survival farming may have a marketplace potential, and may be developed

into market tilting crops, in which case they may gain access to external inputs, and later to investments from the private sector.

CRITERIA IN PRIORITISING UNDERUTILIZED SPECIES

Under the overarching goals of food security, poverty elimination and environmental sustainability, underutilized species should be selected on the basis of their capacity to best address such challenges8:

1. FOOD SECURITY: Underutilized species offer untapped potentials to contribute to struggle malnutrition. Their better use can bring about better nutrition (vitamin C in the fruit of the Barbados cherry -Malpighia glabra- ten times superior than in the kiwi fruit -notably very rich in this micro nutrient; nutritional value of the Himalayan chenopod grains, Chenopodium spp., is superior to that of most major cereals)9.

2. POVERTY ELIMINATION: Multiple uses offer better opportunities to increase income of local people by diversifying valuable plant products10. The greater the number of uses, the greater the chances to strengthen local markets and contribute to improve well being of people.

3. ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY: Underutilized species have recognised capability to cultivate in marginal areas. Collection criteria should thus take into consideration their comparative advantages in halting soil erosion, ability to withstand difficult soils11 (excess of salt, lack of water, etc.), contribute to maintain balanced ecosystems and ability to tolerate heat, cold and other abiotic stresses.

CONCLUSIONS

The diversification of agricultural production systems through the promotion of underutilized species offers opportunities for strengthening adaption, mitigation, and resilience of both the natural and socioeconomic systems. While scientific evidence on the comparative advantages of underutilized crops over commodity crops is yet to be fully demonstrated, the experience acquired by farmers and other inter-

disciplinary considerations powerfully support a call for more investments on these species at the local, regional, national, and international level. Greater demand of underutilized species is expected to fulfil diversification and maintain at the same time livelihood options of people, particularly the rural and urban poor. Underutilised species are highly nutritious and contain vitamins, Carbohydrates, protein and mineral in higher quantity than majority of other common cultivated fruits. It also has high medicinal value. Underutilised species have given priority to exploration, collection and conservation of these species.

REFERENCE

1. Padulosi S, Hoeschle-Zeledon I (2004) Underutilized plant species: what are they? LEISA 20(1):
5-6.
2. FAO (1997). The State of the World's Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Rome:
FAO.
3. J. R., Harlan (1975). Crops and Man. Wisconsin: Crop Science Society of America.
4. Kunkel G. 1984. Plants for Human Consumption. Koeltz Scientific Books, Koenigstein, Germany.
5."Renewable Energy Techologies for Rural Electrification. The Role and Position of Private
Sector".
6. Uddin, Chowdhury Mohammad Farouque and Mohi, "Precision Agriculture: Best Alternative
Approach for Sustainable Agricultural Development," in 18th International Symposium of the
International Farming Systems Association: A Global Learning Opportunity, Rome, 2011.
7. Hoeschle-Zeledon I, Jaenicke H (2007) A strategic framework for global research and
development of underutilized plant species: a contribution to the enhancement of

indigenous
vegetables and legumes. Acta Horticulture (ISHS) 752: 103-110
8. Lobel DB, Burke MB, Tebaldi C et al. (2008) Prioritizing climate change adaptation needs for
food security in 2030. Science 319: 607-610. Lovejoy TE (2006) Climate Change and
Biodiversity, Earth
9. "The role of underutilized plant species in the 21st Century," Beijing, 1999.
34. 5. Hughes J (2009) Just famine foods? What contribution can underutilized plants make to
food security? Acta Horticulturae 86: 39-47. ISHS.
10. Additional information on this aspect can be found in the Proceedings of the International
Workshop on "Priority Setting for Underutilized & Neglected Plant Species of the Mediterranean
region", held in Aleppo, Syria on Feb. 1998, published by IPGRI.
11. Terrell, 1977

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

हिन्दी बाल साहित्य का विवेचनात्मक : एक – अध्ययन

उषा श्रीवास्तव
(शोधार्थी) हिन्दी विभाग
बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय
भोपाल

परिचय

बाल–साहित्य लेखन की परंपरा अत्ध्यंत प्राचीन है। नारायण पंडित ने पंचतंत्र नामक पुस्तक में कहानियों में पशु–पक्षियों को माध्ध्यम बनाकर बच्च्चों को शिक्षा प्रदान की। कहानियों सुनना तो बच्च्चों की सबसे प्यारी आदत है। कहानियों के माध्ध्यम से ही हम बच्च्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। बचपन में हमारी दादी, नानी हमारी मां ही हमें कहानियां सुनाती थी। कहानियॉ सुनाते–सुनाते कभी तो वे हमें परियों के देश ले जाती थी तो कभी सत्ध्य जैसी यथार्थवादी वाली बातें सिखा जाती थीं। साहस, बलिदान, त्ध्याग और परिश्रम ऐसे गुण हैं जिनके आधार पर एक व्ध्यक्ध्ति आगे बढ़ता है और ये सब गुण हमें अपनी मां के हाथों ही प्राप्ध्त होते हैं। बच्च्चे का अधिक से अधिक समय तो मां के साथ गुजरता है मां ही उसे साहित्ध्य तथा शिक्षा संबंधी जानकारी देती है क्ध्योंकि जो हाथ पालना में बच्च्चे को झुलाते हैं वे ही उसे सारी दुनिया की जानकारी देते हैं।

दरअसल, बाल साहित्य का उद्देश्ध्य बाल पाठकों का मनोरंजन करना ही नहीं अपितु उन्हें आज के जीवन की सच्च्चाइयों से परिचित कराना है। आज के बालक कल के भारत के नाग पढ़ेगें उसी के अनुरुप उनका चरित्र निर्माण होगा। कहानियों के माध्ध्यम से हम बच्च्चों को शिक्षा प्रदान करके उनका चरित्र निर्माण कर सकते हैं तभी तो ये बच्च्चे जीवन के संघर्षो से जूझ सकेंगे। इन बच्च्चों को बड़े होकर अंतरिक्ष की यात्राएं करनी हैं, चॉंद पर जाना है और शायद दूसरे ग्रहों पर भी। बाल साहित्ध्य के लेखक को बाल–मनोविज्ञान की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तभी वह बाल मानस पटल पर उतर कर बच्च्चों के लिए कहानी, कविता या बाल उपन्ध्यास लिख सकता है। बच्च्चों का मन मक्ध्खन की तरह निर्मल होता है, कहानियों और कविताओं के माध्ध्यम से हम उनके मन को वह शक्ति प्रदान कर सकते हैं जो उनके मन के भीतर जाकर संस्कार, समर्पण, सदभावना

और भारतीय संस्कृति के तत्व बिठा सकते हैं।

हिंदी बाल साहित्य का इतिहास

भारत में प्राचीन काल से ही पंचतंत्र हितोपदेश तथा कथा सरित्सागर आदि के रूप में बाल साहित्य की एक समृद्ध परंपरा रही है। इसके अतिरिक्त लोक कथाओं तथा दंत कथाओं के रूप में भी बाल साहित्य का एक विपुल भंडार है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से हस्तांतरित होता चला आ रहा है। इस क्रम में बीरबल तेनालीराम, गोपाल भांड और लाल बुझक्कड़ शास्त्री आदि के नाम से प्रचलित तमाम किस्से कहानियों का उल्लेख किया जा सकता है जो गाँव देहातों तक में बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर चढ़ी हैं और आए दिन कही सुनी जाती हैं। इस सबका सीधा लाभ हिंदी साहित्य को मिला।

हिंदी बाल साहित्य का प्रारंभिक काल (१६०० से १६५०)–

सन १८८२ में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा बाल दर्पण नामक पत्रिका के प्रकाशन का उल्लेख मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ही आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता माने जाते हैं। इस प्रकार यह बात प्रमाणित है कि हिंदी में बाल साहित्य का इतिहास ठीक उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं हिंदी साहित्य का।

हिंदी बाल साहित्य में मौलिक सामयिक तथा उद्देश्यपूर्ण लेखन की विधिवत शुरूआत २०वी शताब्दी के दूसरे दशक से देखने को मिलती है। जब विद्यार्थी, शिशु तथा बालसखा जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इनके बाद वानर, कुमार तथा मनमोहन आदि बाल पत्रिकाएँ भी निकलीं। इनमें से सन १६१७ में लल्ली प्रसाद पांडे के संपादन में प्रारंभ बालसखा लगातार ५३ वर्षो तक प्रका. शित होती रही। इन बाल पत्रिकाओं ने न सिर्फ अनेकों समर्थ बाल साहित्यकार पैदा किये किंतु बाल साहित्य की समृद्धि एवं सुदृढ़ स्थापना की दिशा में नीव के पत्थर का काम भी किया। इन बाल पत्रिकाओं में उस समय के कई प्रतिष्ठित साहित्यकारों जैसे मैथिलीशरण गुप्त, कामताप्रसाद गुरू, रामनरेश त्रिपाठी, बाबू गुलाबराय, अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध तथा सुभद्राकुमारी चौहान आदि ने भी रचनाएँ लिखीं। वह समय सामाजिक जन जागरण तथा स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। अतः उन दिनों के बाल साहित्य में स्वाभाविक रूप से आदर्शपरक, नीतिपरक तथा देश प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत रचनाओं की ही अधिकता रही।

बाल पत्रकारिता–

जहाँ तक बाल पत्रकारिता की बात है इस दृष्टि से भी हिंदी बाल साहित्य की स्थिति प्रारंभिक काल से ही काफी सुदृढ़ रही है। कुमार, बालसखा, शिशुवानर, विद्यार्थी, मनमोहन, बालक, राजाभैया, अच्छे भैया, मेला, बाल मेला, चुन्नू–मुन्नू, दोस्त कलरव, तारा, बाल लहर, बाल परंपरा, स्नेह, बाल भारती, पराग और नंदन से लेकर बालहंस बाल वाटिका, बालवाणी चंपक, चकमक, देवपुत्र चंदामामा गुड़िया,

प्यारी बहना, लोटपोट मधु मुस्कान नन्हें सम्राट, बाल भूमि, बाल मितान, बाल दर्शन बाल बोध, बाल प्रहरी, समझ झरोखा, लल्लू जगधर, नया सूरज नई धारा नई पौध, बच्चों का देश और अनुराग आदि तक बाल पत्रिकाओं की एक अटूट श्रृंखला है जिन्होंने हिंदी बाल साहित्य के सृजन संवर्धन तथा संरक्षण की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभा रहे हैं।

बंद हो चुकी बाल पत्रिका पराग के संपादक हरिकृष्ण देवसरे ने अपने संपादकत्व में बाल पत्रकारिता के क्षेत्र मे कई अभिनव प्रयोग किये और बाल साहित्य को रहस्य रोमांच चमत्कार एवं कल्पनालोक के घेरे से निकालकर यथार्थ के धरातल पर लाने का महत्तवपूर्ण कार्य किया। देवसरे ने तर्क संगत समय सापेक्ष्य एवं यथार्थ परक दृष्टि संपन्न बाल साहित्य लेखन का बाकायदा एक आंदोलन खड़ा किया और उसे सफलता पूर्वक स्थापित भी किया। अपने समय की अत्यंत लोकप्रिय पत्रिकाओं धर्मयुग तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान में बाल साहित्य को प्रमुखता से स्थान मिलता रहा। यद्यपि उपरोक्त में से बहुत सी पत्रिकाओं में से, बहुत का प्रकाशन अब बंद हो चुका है फिर भी आज कम से कम डेढ़ दर्जन बाल पत्रिकाएँ ऐसी हैं जो नियमित रूप से प्रकाशित हो रही हैं।

आपके बाल साहित्य ज्ञान का परीक्षण

संभव है कि आप अपने छात्रों के लिए साहित्य का मुख्य स्रोत हों। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आपको अपने छात्रों की उम्र और स्तर के अनुरूप ऐसी विविध कहानियों और कविताओं की जानकी हो, जिन्हें आपने क़िताबों में पढ़ा था या जिन्हें अपनी याद्दाश्त से सुना सकें।

यह परीक्षण कोई परीक्षा नहीं है। इसका उद्देश्य आपको बाल साहित्य के अपने ज्ञान के संबंध में अपने शुरुआती बिंदु की पहचान करने में मदद करना है। यथा संभव ईमानदारी के साथ उत्तर देने का प्रयास करें। आपको याद आने वाले किन्हीं उदाहरणों को नोट करें। साथ ही, अपने किसी सहकर्मी से उनके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए कहें। अंत में उनके साथ अपने जवाब साझा करना दिलचस्प होगा।

क्या आप स्मृति से–

- बच्चों के लिए कोई कविता सुना सकते हैं?
- बच्चों के लिए कोई तुकांत कविता जिसे वे गा सकें?

आपके बाल साहित्य संबंधी ज्ञान का विस्तार

अब अपने परीक्षण के निर्माण की योजना तैयार करें। अपने के लिए स्वयं एक लक्ष्य निर्धारित करें:

- दो बाल लेखक, जिनसे आप परिचित नहीं, को पढ़ेंगे।
- दो बाल कवि, जिनसे आप परिचित नहीं, को पढ़ेंगे।
- अपने सहकर्मियों के साथ अपने विचारों को साझा करें।

अपनी कक्षा में सस्वर से पढ़ कर सुनाना

किसी किताब से एक उच्च्य गुणवत्ता वाली बच्चों की कहानी चुनें। घर पर या सहकर्मियों के साथ सस्वर पढ़ते हुए, कहानी को अच्छी तरह से समझें।

अपने छात्रों का पुस्तक से परिचय करवाएँ। कक्षा में या किसी पेड़ के नीचे उन्हें अपने ईर्द–गिर्द आधा गोल घेरा बना कर बैठने के लिए कहें।

अपने छात्रों को पुस्तक का आवरण दिखाएँ। उनसे पूछें कि उनके विचार में वह किस विषय से संबंधित हो सकता है। यदि आवरण पृष्ठ पर जंगल नजऱ आता हो, तो पूछें कि क्या कक्षा में किसी ने कभी कोई जंगल देखा है और वह कैसा था। यदि वह बारिश के बारे में हो, तो अपने छात्रों से पूछें कि वे बारिश को पसदं करते हैं या नहीं, और क्यों। शीर्षक पढ़ें और अनुमान लगाने के लिए कहें कि पुस्तक किस विषय से संबंधित हो सकता है।

पुस्तक दिखाएं ताकि हर कोई शब्दों और चित्र को देख सकें। कम आयु के छात्रों के साथ आप पढ़ते समय अपनी उँगली से शब्दों का अनुसरण कर सकते हैं।

कहानी को धीमे और अभिव्यक्ति के साथ पढ़ें, और जब चित्रों से सामना हो, तो उसकी ओर सबका ध्यान आकर्षित करें।

जब आपका पढ़ना ख़त्म हो, तब अपने छात्रों से ये प्रश्न पूछें:

इस कहानी के संबंध में आपको क्या पसंद आया?

क्या ऐसी कोई चीज़ थी जो आपको पसंद नहीं आई हो?

क्या इसमें आपको हैरान करने वाली कोई बात थी? वह क्या था?

कहानी सुनाना, गीत, रोलदृप्ले और नाटक

विद्यार्थी उस समय सबसे अच्छे ढंग से सीखते हैं जब वे शिक्षण के अनुभव से सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं। दूसरों के साथ परस्पर संवाद और अपने विचारों को साझा करने से आपके विद्यार्थी अपनी समझ की गहराई बढ़ा सकते हैं। कहानी सुनाना, गीत, रोलदृप्ले करना और नाटक कुछ ऐसी विधियाँ हैं, जिनका उपयोग पाठ्यक्रम के कई क्षेत्रों में किया जा सकता है, जिनमें गणित और विज्ञान भी शामिल हैं।

कथावाचन

कहानियाँ हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में मदद करती हैं। कई पारम्परिक कहानियाँ पीढ़ी–दर–पीढ़ी चली आ रही हैं। वे हमें तब सुनाई गई जब हम छोटे थे थीं और हम जिस समाज में पैदा हुए हैं, उसके कुछ नियम व मान्यताएँ समझाती हैं।

कहानियाँ कक्षा में बहुत सशक्त माध्यम होती हैं:

– मनोरंजक, उत्साहवर्धक व प्रेरणादायक हो सकती हैं
– हमें रोजमर्रा के जीवन से कल्पना की दुनिया में ले जाती हैं
– चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं
– नए विचार सीखने की प्रेरणा दे सकती हैं
– भावनाओं को समझने में मदद कर सकती हैं
– समस्याओं के बारे में उन संदर्भों में सोचने में मदद करती है जो वास्तविकता से दूर होने के कारण कम भयावह प्रतीत होते हैं।

जब आप कहानियाँ सुनाते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप सुनने वालों की आँखों में देखें। यदि आप विभिन्न पात्रों के लिए भिन्न स्वरों का उपयोग करते हैं और उदाहरण के लिए उपयुक्त समय पर अपनी आवाज़ की तीव्रता और सुर को बदलकर फुसफुसाते या चिल्लाते हैं, तो उन्हें आनन्द आएगा। कहानी की प्रमुख घटनाओं का अभ्यास कीजिए ताकि आप इसे पुस्तक के बिना स्वयं अपने शब्दों में मौखिक रूप से सुना सकें। कक्षा में कहानी को मूर्त रूप देने के लिए आप वस्तुओं या कपड़ों जैसी सामग्री भी ला सकते हैं। जब आप कोई नई कहानी सुनाएँ, तो उसका उद्देश्य समझाना न भूलें और विद्यार्थियों को इस बारे में बताएँ कि वे क्या सीख सकते हैं। आपको प्रमुख शब्दावली उन्हें बतानी होगी व कहानी की मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में उन्हें जागरूक रखना होगा। आप कोई पारंपरिक कहानी कहने वाला भी विद्यालय में ला सकते हैं, लेकिन सुनिश्चत करें कि जो सीखा जाना है, वह कहानी कहने वाले व विद्यार्थियों, दोनों को स्पष्ट हो।

कहानी सुनाना 'सुनने' के अलावा भी विद्यार्थियों की कई गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकता है। विद्यार्थियों से कहानी में आए सभी रंगों के नाम लिखने, चित्र बनाने, प्रमुख घटनाएँ याद करने, संवाद बनाने या अंत को बदलने को कहा जा सकता है। उन्हें समूहों में विभाजित करके चित्र या सामग्री देकर कहानी को किसी और परिपेक्ष्य में कहने को कहा जा सकता है। किसी कहानी का विश्लेषण करके, विद्यार्थियों से कल्पना में से तथ्य को अलग करने, किसी अद्‌भुत घटना के वैज्ञानिक स्पष्टीकरण पर चर्चा करने या गणित के प्रश्नों को हल करने को कहा जा सकता है।

गीत

कक्षा में गीत और संगीत के उपयोग से अलग अलग छात्रों को योगदान करने, सफल होने और उन्नति करने का अवसर मिल सकता है। एक साथ मिलकर गाने से जुड़ाव बनता है और इससे सभी छात्र खुद को इसमें शामिल महसूस करते हैं क्योंकि यहाँ ध्यान किसी एक व्यक्ति के प्रदर्शन पर केंद्रित नहीं होता। गीतों के सुर और लय के कारण उन्हें याद रखना सरल होता है और इससे भाषा व बोलने के विकास में मदद मिलती है।

नाटक

कक्षा में नाटक का उपयोग अधिकतर विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए एक अच्छी रणनीति है। नाटक कौशलों और आत्मविश्वास का निर्माण करता है, और उसका उपयोग विषय के बारे में आपके छात्रों की समझ का आकलन करने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यह दिखाने के लिए कि संदेश किस प्रकार से मस्तिष्क से कानों, आंखों, नाक, हाथों और मुंह तक जाते हैं और वहां से फिर वापस आते हैं, टेलीफोनों का उपयोग करके मस्तिष्क किस प्रकार काम करता है इसके बारे में अपनी समझ पर एक नाटक किया गया। या संख्याओं को घटाने के तरीके को भूल जाने के भयानक परिणामों पर एक लघु, मज़ेदार नाटक युवा छात्रों के मन में सही पद्धतियों को स्थापित कर सकता है।

नाटक प्रायः शेष कक्षा, स्कूल के लिए या अभिभावकों और स्थानीय समुदाय के समक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए होता है। इससे विद्यार्थियों को एक लक्ष्य के लिए काम करने की प्रेरणा मिलती है। नाटक तैयार करने की रचनात्मक प्रक्रिया से समूची कक्षा को जोड़ा जाना चाहिए। यह जरूरी है कि आत्मविश्वास के स्तरों के अंतरों को ध्यान में रखा जाये। हर एक व्यक्ति का अभिनेता होना जरूरी नहीं है; छात्र अन्य तरीकों से भी योगदान दे सकते हैं (संयोजन करना, वेशभूषा, मंच सज्जा व सामग्री, मंच पर सहायता) जो उनकी प्रतिभा और व्यक्तित्व से अधिक नजदीक से संबद्ध हों।

बाल साहित्य के प्रकाशक–

नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्डरेंस बुक ट्रस्ट और केन्द्र सरकार के प्रकाशन विभाग से लेकर छोटे बड़े विभिन्न शहरों में फैले सैकड़ों ऐसे प्रकाशन संस्थान हैं जो प्रतिवर्ष विपुल मात्रा में बाल साहित्य का प्रकाशन कर रहे हैं। आज हिंदी का हर बड़ा प्रकाशक सहर्ष बाल साहित्य छाप रहा है। भारी मात्रा में बाल साहित्य का यह नियमित प्रकाशन स्वतः इसकी अच्छी बिक्री का प्रमाण है। तात्पर्य यह कि आज का हिंदी बाल सहित्य हर दृष्टि से समृद्ध, समर्थ, विकसित तथा समय सापेक्ष्य है। आज समर्पित रचनाकारों की एक बड़ी संख्या है। जो इसे नई ऊँचाइयों की ओर ले जाने के लिये प्रयासरत हैं।

सारांश

इस इकाई में, आपने बच्चों के साहित्य के प्रति अपने ज्ञान का परीक्षण किया और अच्छी गुणवत्ता वाली बाल कहानियों की विशेषताओं पर विचार किया। आपने अपने पाठों में कविता पाठ तथा कहानी सुनाने के अधिक अवसरों को शामिल करने के बारे में भी विचार किया। जब आप अपने शिक्षण में इस तरह की गतिविधियों को नियमित रूप से शामिल करेगें, तब छात्र उनकी उम्मीद करेंगे और स्वयं आनंद लेने लगेगें, और यह उन्हें स्वयं कहानियाँ और कविताएँ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे उनमें साक्षरता का विकास होगा।

सन्दर्भः–

मधुमती का बाल–साहित्य विशेषांक

भारतीय बालसाहित्य और विश्व–परिदृश्य (डॉ॰ श्यामसिंह शशि)

चुनी हुईं बाल कहानियाँ ; भाग – १ (गूगल पुस्तक ; लेखक – रोहिताश्व अष्ठाना)

मैत्रे का पुल (गूगल पुस्तक ; लेखक – जयप्रकाश भारती)

मार्गदर्शन के लिये तरसते बच्चे (संजय द्विवेदी)

"Chambers, A. (2011) Tell Me: Children, Reading and Talk with The Reading Environment . Stroud: Thimble Press.

" Cremin, T., Mottram, M., Collins, F., Powell, S. and Safford, K. (2009) Teachers as Readers: Building Communities of Readers 2007-08 Executive Summary . The United Kingdom Literacy Association. Available from: http://www.ukla.org/ downloads/ teachers_as_readers.pdf (accessed 18 November 2014).

" Dasgupta A. (1995) Telling Tales: Children's Literature in India . London: Taylor and Francis.

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

माध्यमिक स्तर के विधार्थियों की गणित विषय में उपलब्धि पर बुद्धि एवं समायोजन के प्रभाव का अध्ययन

रीना बुनकर (शोधार्थी)
शिक्षा विभाग
बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय
भोपाल

नैतिक शिक्षा

नैतिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग दूसरों में नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। यह कार्य घर, विद्यालय, मन्दिर, जेल, मंच या किसी सामाजिक स्थान (जैसे पंचायत भवन) में किया जा सकता हैद्य

व्यक्तियों के समूह को हीं समाज कहते है। जैसे व्यक्ति होंगे वैसा ही समाज बनेगा। किसी देश का उत्थान या पतन इस बात पर निर्भर करता है कि इसके नागरिक किस स्तर के हैं और यह स्तर बहुत करके वहाँ की शिक्षा–पद्धति पर निर्भर रहता है। व्यक्ति के निर्माण और समाज के उत्थान में शिक्षा का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। प्राचीन काल की भारतीय गरिमा ऋषियों द्वारा संचालित गुरुकुल पद्धति के कारण ही ऊँची उठ सकी थी। पिछले दिनों भी जिन देशों ने अपना भला–बुरा निर्माण किया है, उसमें शिक्षा को ही प्रधान साधन बनाया है। जर्मनी इटली का नाजीवाद, रूस और चीन का साम्यवाद, जापान का उद्योगवाद युगोस्लाविया, स्विटजरलैंड, क्यूबा आदि ने अपना विशेष निर्माण इसी शताब्दी में किया है। यह सब वहाँ की शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने से ही संभव हुआ। व्यक्ति का बौद्धिक और चारित्रिक निर्माण बहुत सीमा तक उपलब्ध शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है।

भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति ৈ(ज) का दर्जा प्राप्त करने वाले समुदायों को कुछ संरक्षण प्रदान किये जाते हैं, लेकिन यह बात हमेशा ही विवादग्रस्त रही है कि किन समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया जाए. अनुसूचित जनजा. ति का दर्जा मिलने का अर्थ है कि इन समुदायों को राजनैतिक प्रतिनिधित्व के रूप में, स्कूलों में आरक्षित सीटों के रूप में और सरकारी नौकरियों के रूप में वांछित ठोस लाभ प्राप्त होना. पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक और राजनैतिक लामबंदी के कारण अनुसू. चत जनजातियों की संख्या अब (एक से अधिक राज्यों में एक दूसरे से टकराती हुई) 700 तक पहुँच गई है, जबकि सन् 1960 में इनकी संख्या 225 थी. जैसे–जैसे अनुसू. चत जनजातियों का दर्जा हासिल करने को इच्छुक समुदायों की संख्या बढ़ रही है, वैसे–वैसे ही किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने के औचित्य पर भी सवाल उठने लगे हैं और यही कारण है कि इसे दर्जा प्रदान करने के मानदंड की जाँच करने की माँग भी बढ़ती जा रही है.

भारत के संविधान में निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से अनुस. ूचित जनजातियों को निर्दिष्ट कर सकते हैं. इसके लिए कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किये गये हैं. जनजाति मामलों के मंत्रालय के अनुसार यद्यपि इसके मानदंड का कोई विधान तय नहीं किया गया है, फिर भी "स्थापित मान्यताओं" के अनुसार इसका निर्धारण किया जाता है. इन मान्यताओं में निम्नलिखित विशेषताओं को शामिल किया गया है, "आदिम" गुण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, विशाल समुदाय से "जुड़ने में संकोच" और "पिछड़ापन". ये सामान्य मानदंड 1931 की जनगणना की परिभाषाओं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1955 की रिपोर्टों, कालेलकर सलाहकार समिति और लोकुर समिति द्वारा तैयार की गई अनुसूचित जाति ६ जनजातियों की पुनःसंशोधित सूचियों के आधार पर तय किये गये थे, परंतु आधी से अधिक सदी बीत जाने के बाद व्यापक मानदंडों में बहुत स्थलों पर विवेकाधिकार की बहुत गुंजाइश रह गई है.

नैतिक मूल्य हमारी संस्कृति की पहचान

अशिष्टता क्यों पनप रही है, इस पर गंभीर मंथन की जरूरत है। अशिष्टता के लिए हम युवा पीढ़ी को भी पूरी तर

अशिष्टता क्यों पनप रही है, इस पर गंभीर मंथन की जरूरत है। अशिष्टता के लिए

हम युवा पीढ़ी को भी पूरी तरह दोषी नहीं ठहरा सकते। इसके लिए परिवार, सामाजिक वातावरण व पड़ोस आदि भी जिम्मेदार हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी परवरिश का जिम्मा परिवार पर होता है। उसे जैसे संस्कार दिए जाते हैं वह बड़ा होकर उसी के अनुरूप चलता है। इसके साथ ही समाज का भी इसमें अहम योगदान होता है। इसलिए बच्चों को शुरू से अच्छे संस्कार दिए जाने चाहिए। जहां पर बच्चा गलत करे उसे बताना चाहिए। इसके लिए बच्चों को नैतिक मूल्यों के साथ अपनी संस्कृति से भी रूबरू करवाना चाहिए। नैतिक मूल्य हमारी संस्कृति की पहचान होते हैं।

जो आचार, विचार और व्यवहार हमारे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त न हों, उन्हें अशिष्टता की संज्ञा दी जाती है। परिवार में रहकर ही बच्चे को संस्कारों, नैतिकता व शिष्टाचार के बारे में सीखना होता है। परिवार में साथ रहकर बच्चा घर के सदस्यों के साथ व्यवहार करना शुरू करता है। जिसके संपर्क में बच्चा आता है उसी का व्यावहारिक असर उस पर होता जाता है। इसमें हमारा दायित्व यह है कि शिष्ट और अशिष्ट क्या है, इसके बारे में बच्चे को ज्ञान दें। आज के समय में बच्चों में सहनशक्ति का अभाव हो रहा है। इसका कारण उनमें नैतिक मूल्यों की कमी का होना है। नैतिकता की कमी से उनमें अशिष्टता पैदा हो रही है। बच्चों में अनैतिकता का एक कारण माता–पिता के पास समय का अभाव होना भी है। इसे हम मुख्य कारण कह सकते हैं। आज किसी भी अभिभावक के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। वह तो उसके लिए धन एकत्रित करने में व्यस्त हैं। वह इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जिस बच्चे के लिए हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं वह कहां जा रहा है। अपना बहुमूल्य समय अभिभावक बच्चों को न देने के कारण भी बच्चे गलत राह पर चल पड़ते हैं।

तीन साल तक बच्चे को होश नहीं होता है, जब वह संस्कार, नैतिकता व शिष्टता के बारे में जानने योग्य होता है तो उसे स्कूल भेजा जाता है। उसके बाद वह ट्यूशन पढ़ने के लिए चला जाता है। जब तक वह माता–पिता के पास आता है तो थककर सोने के लिए चला जाता है। अभिभावक कुछ पूछने की कोशिश भी करें तो वह यह कहकर टाल देता है कि अभी थक चुका हूं। दूसरी सुबह फिर वही रूटीन शुरू हो जाती है। बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ व सीख रहा है, हमें मालूम ही नहीं होता। समय के साथ वह इतना बड़ा हो जाता है कि वह संस्कारविहीन हो जाता है। शिष्टाचार की उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। आज लोगों के पास पैसा तो काफी हो गया

है, लेकिन जिसके लिए कमाया वह हमारी सोच के अनुसार कुछ नहीं कर रहा। जब बच्चे को हमारे साथ की जरूरत थी तो हम पैसे के पीछे भागते रहे और संस्कार, शिष्टाचार व नैतिकता नाम की चीज उसे मिल ही नहीं पाई। नैतिक मूल्य भारतीय संस्कृति की पहचान हैं, जोकि हमें हमारे पुरखों से विरासत में मिली अनमोल धरोहर हैं। संपूर्ण विश्व में भारत की पहचान नैतिकता से है। अफसोस की बात है कि आज की युवा पीढ़ी अपने रास्ते से भटक रही है। युवाओं का रुष्ठ और रूखा व्यवहार, बड़ों के प्रति अनादर, कुतर्क व मनमानी यह सब दर्शाता है कि युवाओं में नैतिक मूल्यों का स्तर किस हद तक गिर चुका है। कितनी अजीब बात है कि यह सब दशकों के एक छोटे से अंतराल में हो गया। आज से कुछ दशक पहले अपने से बड़ों का आदर करना व उन्हें उचित प्यार देना अपना कर्तव्य माना जाता था। लोग मिलनसार थे और रिश्तों में गर्माहट थी, लेकिन अब यह कहते हुए शर्म महसूस होती है कि जिन माता–पिता ने हमें बड़ा कर काबिल बनाया, वे ही बच्चों को बोझ लगने लगे हैं। यही अनैतिकता व अशिष्टता है। संस्कारों का पतन भी इसे कहा जाता है। आज का युवा मोबाइल फोन व सोशल साइट्स पर इतना खो गया है कि उनके पास दूसरों के लिए समय ही नहीं है।

बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास की शुरुआत कैसे करें?

बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास से मतलब है उन्हे अच्छे संस्कार देना और अपनी संस्कृति से रूबरू करवाना जिससे वे अपने साथ–साथ पूरे समाज को सही रास्ते पर ले जा सके। बच्चे हमारी परंपराओं के खेवनहार और देश का भविष्य होते हैं पर बच्चे में नैतिक मूल्यों की कमी उनके चरित्र को तबाह कर देती है और वे छोटी उम्र में ही चोरी, बेइमानी और झूठ–धोखा करने लगते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे बच्चे बड़े होने पर देश और समाज का क्या भला करेंगे?

नैतिक मूल्यों की जरूरत क्यूँ है?

कोई बच्चा पढ़ाई–लिखाई में कितना भी होशियार हो पर यदि उसमें नैतिक शिक्षा का अभाव है तो सब बेकार है। नैतिकता हमारी शख्सियत को निखारने की पहली सीढ़ी

है। नैतिकता ही वह खूबी है जो हमारे सामाजिक होने की पहचान कराती है और जीवन को बेहतर ढंग से जीना सिखाती है। बच्चों को नैतिक मूल्यों की जानकारी देना इसलिए जरूरी है ताकि वे अच्छे–बुरे, सही–गलत का फर्क समझ सकें और जान सकें कि क्या करने से समाज में आदर, सराहना और प्यार मिलता है और क्या करने से नहीं।

बच्चों को नैतिक मूल्यों की जानकारी देने के लिए क्या करें

बच्चे को नैतिक मूल्यों की जानकारी सबसे पहले परिवार में मिलती है। सबसे पहले मां–बाप ही बच्चों में नैतिक मूल्यों के बीज रोपते हैं। परिवार में ही बच्चा संस्कार, नैतिकता और शिष्टाचार की जानकारी पाता है जिससे वह जान सके कि समाज में बड़ों के साथ, अपने मित्रों के साथ और अन्य लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। यहाँ बच्चों को नैतिक मूल्यों की जानकारी देने के कुछ आसान तरीके बताए गऐ हैं–

समुदाय शिक्षा संस्थान के रूप में

प्रत्येक समुदाय की अनेक आवश्यकतायें तथा समस्यायें होती है।इन आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्यायों के समाधान के समुदाय का रहन–सहन ऊँचा उठता है तथा वह दिन–प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर होता है।जो समुदाय उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाता वह अपने सीमित क्षेत्र में अपनी सीमित आवश्यताओं और ढंगों वाली संस्कृति से ही लिपटा रहता है।इससे उसकी निर्धनता ज्यों की त्यों बनी रहती है।अतरू प्रत्येक समुदाय अपनी प्रगति के लिएय नई पीढ़ी को अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करता है।यही कारण है कि प्राचीन काल से लेकर अब तक समुदाय ने अपने प्रगति के लिए राजनितिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा सदैव अपने आदर्शों और उद्देश्यों के अनुसार मोड़ा है तथा अब भी मोड़ रहा है।इसलिए स्कूल को समाज लघुरूप की संज्ञा दी जाती है।ध्यान देने की बात है कि समुदाय शिक्षा संस्था के रूप में बालक को औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों रूप से शिक्षित करता है।निम्नलिखित पक्तिओं में हम शिक्षा संस्था के रूप में समुदाय के महत्व तथा उसके द्वारा बालक पर पड़ने वाले प्रभावों एवं कार्यों पर प्रकश डाल रहें हैं दृ

बालक की शिक्षा में समुदाय का महत्व

समुदाय ब्लाक की शिखा का एक महत्वपूर्ण सक्रिय तथा अनौपचारिक साधन हैं।जिस प्रकार बालक की शिक्षा पर परिवार तथा स्कूल का गहरा प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार

समुदाय भी बालक के व्यवहार में इस प्रकार से परिवर्तन करता है कि वह उस समूह के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने के योग्य बन जाता है जिसका वह सदस्य है।इसलिए यह कहावत अब भी चली आ रही है कि प्रत्येक बालक वैसा ही बन जाता है जैसा कि समुदाय के बड़े लोग उसे बनाना चाहते हैं।वास्तविक यह है की बालक जन्म से लेकर केवल पारिवारिक वातावरण में ही विकसित नहीं होता अपितु उसके विकास में समुदाय के विस्तृत वातावरण का भी गहरा प्रभाव पड़ता है।ये समुदाय के वातावरण को ही तो चमत्कार जिसमें रहते हुए बालक की प्रवृति, विचारधारा तथा आद. तों का निर्माण होता है एवं उसकी संस्कृति, रहन–सहन तथा भाषा पर एक अमित छाप दिखाई पड़ती है।ध्यान देने की बात है कि समुदाय का वातावरण बालक की अनुकरण करने की जन्मजात प्रवृति को विशेष रूप से प्रभावित करता है।इसीलिए बालक उन लोगों का अनुकरण करने लगता है।जिनके कि वह सम्पर्क में आता है यदि वह अपने गाँव या नगर में रहने वाले गवैयों के सम्पर्क में आता है तो तो उसे गाने में रूचि उत्पन्न हो जाती है।ऐसे ही यदि वह श्रमिकों के सम्पर्क में आता है, तो उसे श्रम के प्रति श्रद्धा होने लगती है।इस प्रकार मेलों, जुलूसों, तथा उत्सवों एवं समुदाय के विभिन्न कार्यों में या तो सक्रिय रूप में भाग लेते हुए अथवा अनुकरण द्वारा बालक हर समय कुछ न कुछ सीखता ही रहता है।कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक बालक पर उस समुदाय का प्रभाव पड़े बिना किसी भी दशा में नहीं रह सकता जिसका कि वह सदस्य है।चूँकि प्रत्येक समुदाय की भाषा तथा संस्कृति अलग–अलग होती है, इसलिए प्रत्येक समुदाय के बालकों की संस्कृति भाषा तथा दृष्टिकोण एवं व्यवहार में स्पष्ट अन्तर दिखाई पड़ता है।इस दृष्टि से परिवार तथा स्कूल की भांति समुदाय भी बालक की शिक्षा का एक महत्वपर्ण साधन है।विलियम ए० ईगर ने ठीक ही लिखा है दृ " चूँकि स्वाभाव से मानव सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसमें वर्षों के अनुभव से सीख लिया है कि व्यक्तित्व तथा समहुहिक क्रियाओं का विकास सर्वोतम रूप में समुदाय द्वारा ही किया जा सकता है।"

रु1. घर के माहौल का महत्व –

जैसा ऊपर बताया गया है कि बच्चे का पहला स्कूल उसका घर होता है, तो सबसे पहले घर का माहौल स्नेहशील होना चाहिए। घर का माहौल खुशनुमा होना, घर में बड़ों को आदर होना, बोल–चाल में सभ्यता और सौम्यता, एक–दूसरे के प्रति लगाव जैसी

बातों से बच्चे प्रेरित होते हैं और इन बातों को बड़ी जल्दी सीखते हैं।

रु2. दोस्ती–यारी का असर –

जब बच्चे एक–दूसरे के साथ खेलते हैं तो यह उनमें समाजीकरण की अहसास पैदा करता है। उसके समूह में बच्चे के कुछ गलत किए जाने पर उसे एसा न करने के लिए समझाना या कुछ अच्छा करने पर उसकी प्रसंसा करना उसके आचरण और बर्ताव पर असर करता है पर बच्चों की संगत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बच्चा जिसके सम्पर्क में आता है, उसी का अनुसरण करता हैं। यह बात घर के बाहर भी लागू होती है। बच्चे घर से ज्यादा अपने यार–दोस्तों की संगत में सीखते हैं। अगर उसके साथियों में झूठ बोलना, चोरी करना जैसी आदतें है तो बच्चा बड़ी जल्दी उसका शिकार बनेगा।

. मनोरंजन गतिविधि –

बच्चों को नैतिक मूल्यों की जानकारी के लिए मौज–मस्ती और मनोरंजन का किरदार भी अहम् है। अच्छी फिल्में, टीवी प्रोग्राम, कॉमिक्स, कहानियां बच्चों के लिए स्वस्थ्य मना. ेरंजन का साधन होने के साथ–साथ उनके कोमल मतिष्क पर बड़ी जल्दी असर करती हैं। माता–पिता को कोशिश करनी चाहिए कि वह बच्चों को बचपन से ही नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना शुरू करें। नैतिक मूल्यों की जानकारी बच्चों को सभ्य, चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार बनाती है।

विद्यालय संस्कृति क्या है और वह सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है?

जो विद्यालय एक सकारात्मक साझा संस्कृति का विकास करने और उसे कायम रखने में सक्षम होता है वह जानता है कि सीखने के लिए प्रभावी वातावरण विकसित करने में संस्कृति के कौन से पहलू महत्वपूर्ण होते हैंय वह अपने विद्यार्थियों को ये मूल्य जानबूझ कर सौंपता है। सामूहिक जागरूकता और कार्यवाही के माध्यम से, विद्यार्थियों के सीखने और उपलब्धि को बढ़ाने के लिए संस्कृति का सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है, चाहे छोटे कामों के माध्यम से जैसे सार्वजनिक समारोहों में उपलब्धियों का उत्सव मनाना, या अधिक बड़े पैमाने की परियोजनाओं से जैसे पाठ्यचर्या के सुधार में योगदान करने के लिए शिक्षकों, विद्यार्थियों और अन्य हितधारकों के लिए प्रजातांत्रिक प्रक्रियाएं विक.

सित करना।

यद्यपि वह स्थिर दिखाई देती है, संस्कृति एक गतिशील अंतराल है जो कानूनों, नीतियों और नेतृत्व के परिवर्तनों से प्रभावित होता है। इसलिए ''विद्यालय प्रमुख'' का इस बात से अवगत रहना कि विद्यालय की संस्कृति को क्या चीज प्रभावित करती या बदलती है, चाहे जानबूझ कर या उसके बिना, और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सीखने और उपलब्धि के लिए संस्कृति को कभी जोखिम में न रखा जाय। अनुसंधान दर्शाता है कि यह सुनिश्चित करने में कि संस्कृति विद्यार्थियों की उपलब्धि का समर्थन करे, विद्यालय प्रमुख की महत्वपूर्ण भूमिका होती है (मैकनेल और अन्य, 2009)। लेकिन दृ जैसा कि बुलाक (2001) ने पहचाना है दृ कि विद्यालय प्रमुख को संस्कृति को बदलने का प्रयास करने से पहले उसे पहचानना चाहिए।

सकारात्मक विद्यालय संस्कृति को मोटे तौर पर निम्नलिखित को शामिल करके परिभाषित किया जा सकता है (चरित्र शिक्षा सहयोग, 2010)रू

सामाजिक वातावरण, जिसमें एक सुरक्षित और देखभाल करने वाला वातावरण शामिल है जहाँ सभी विद्यार्थी आमंत्रित और महत्वपूर्ण महसूस करते हैं, और अपने विद्यालय के प्रति अपनापन महसूस करते हैंय इससे विद्यार्थियों को उनके नैतिक विकास में मदद मिलती है

बौद्धिक वातावरण, जिसमें हर कक्षा के सभी विद्यार्थियों को उनका सर्वोत्तम कार्यप्रदर्शन करने और गुणवत्तापूर्ण काम करने के लिए सहयोग और चुनौती दी जाती हैय इसमें एक समृद्ध, कड़ी और जुड़कर करने वाली पाठ्यचर्या, और इसे पढ़ाने के लिए योग्य व शक्तिशाली अध्यापक समूह शामिल है

नियम और नीतियाँ जो विद्यालय के सभी सदस्यों को सीखने और व्यवहार के उच्च मानकों के लिए उत्तरदायी ठहराती हैं

परम्पराएं और दिनचर्याएं उन साझा मूल्यों से निर्मित जो विद्यालय के शैक्षणिक और सामाजिक मानकों का सम्मान और उन्हें सुदृढ़ करती हैं

संरचनाएं स्टाफ और विद्यार्थियों को समस्याओं का समाधान करने और विद्यालय के वातावरण और उनके सामान्य जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने में और उसके लिए साझा उत्तरदायित्व प्रदान करने के लिए

विद्यार्थियों के सीखने और चरित्र के विकास में सहायता करने के लिए माता–पिता

के साथ प्रभावी ढंग से काम करने के तरीके

संबंधों और व्यवहार के लिए नियम जो उत्कृष्टता और नैतिक परिपाटी की व्यावसायिक संस्कृति की रचना करते हैं।

कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धान्त

कोलबर्ग का नैतिक सिद्धान्त

बाहरी कड़ियाँख्संपादित करें,

झारखण्ड का जनजातीय जीवन

राजस्थान में जनजातियों के नाम हैं शौर्य गाथाएं (स्वतंत्र आवाज)

बिपमकिवउरू च्तमबनतेवत व ़जीम ज्तपइम?

व्सकमेज वतहंदप्रंजपवद पद ेपं चतवजमबजपदह जतपइंस बनसजनतम

झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा ंद ।कपअेंप वतहंदपेंजपवद

प्यारा केरकेट्टा फाउंडेशन ंद ।कपअेंप वतहंदपेंजपवद - इववा चनइसपेीमत

आदिवासी पत्र-पत्रिकाएंख्संपादित करें,

जोहार सहिया (आदिवासियों की लोकप्रिय मासिक पत्रिका नागपुरी-सादरी भाषा में)

जोहार दिसुम खबर (12 आदिवासी भाषाओं में प्रकाशित भारत का एकमात्र पाक्षिक अखबार)

झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति ष्अखड़ा (11 आदिवासी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका)

आदिवासी समाज की सामाजिक वेबसाईट (आदिवासी समाज की सामाजिक वेबसाईट)

६ ीजजचरू ध्ध्जतपइमेपदकपं.बवउध्पदकम•.चीच?वचजपवद=बवउञ्बवदजमदज-अपमू=ंतजपबसम-पक=894-प्जमउपक=124-संदह=मद

ीजजचरूध्ध्.दंअदममजीपदकप.बवउ

ी ज ज च ् रू ध् ध् ी प द क प . उ ं च ् व ि प द क प ं . बवउध्उल-पदकपंध्उवतंस-अंसनमे-ेवनसक-इम-चंतज-व-िवनत-मकनबंजपवद-ेले.

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्रायों के नैतिक मूल्यों पर परिवारिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन

पंकज पाटिल (शोधार्थी)
शिक्षा विभाग
बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय
भोपाल

नैतिक शिक्षा

नैतिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग दूसरों में नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। यह कार्य घर, विद्यालय, मन्दिर, जेल, मंच या किसी सामाजिक स्थान (जैसे पंचायत भवन) में किया जा सकता हैद्य

व्यक्तियों के समूह को हीं समाज कहते है। जैसे व्यक्ति होंगे वैसा ही समाज बनेगा। किसी देश का उत्थान या पतन इस बात पर निर्भर करता है कि इसके नागरिक किस स्तर के हैं और यह स्तर बहुत करके वहाँ की शिक्षा–पद्धति पर निर्भर रहता है। व्यक्ति के निर्माण और समाज के उत्थान में शिक्षा का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। प्राचीन काल की भारतीय गरिमा ऋषियों द्वारा संचालित गुरुकुल पद्धति के कारण ही ऊँची उठ सकी थी। पिछले दिनों भी जिन देशों ने अपना भला–बुरा निर्माण किया है, उसमें शिक्षा को ही प्रधान साधन बनाया है। जर्मनी इटली का नाजीवाद, रूस और चीन का साम्यवाद, जापान का उद्योगवाद युगोस्लाविया, स्विटजरलैंड, क्यूबा आदि ने अपना विशेष निर्माण इसी शताब्दी में किया है। यह सब वहाँ की शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने से ही संभव हुआ। व्यक्ति का बौद्धिक और चारित्रिक निर्माण बहुत सीमा तक उपलब्ध शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है।

भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति ॅ(ज) का दर्जा प्राप्त करने वाले समुदायों को कुछ संरक्षण प्रदान किये जाते हैं, लेकिन यह बात हमेशा ही विवादग्रस्त रही है कि किन समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया जाए. अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने का अर्थ है कि इन समुदायों को राजनैतिक प्रतिनिधित्व के रूप में, स्कूलों में आरक्षित सीटों के रूप में और

सरकारी नौकरियों के रूप में वांछित ठोस लाभ प्राप्त होना. पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक और राजनैतिक लामबंदी के कारण अनुसूचित जनजातियों की संख्या अब (एक से अधिक राज्यों में एक दूसरे से टकराती हुई) 700 तक पहुँच गई है, जबकि सन् 1960 में इनकी संख्या 225 थी. जैसे–जैसे अनुसूचित जनजातियों का दर्जा हासिल करने को इच्छुक समुदायों की संख्या बढ़ रही है, वैसे–वैसे ही किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने के औचित्य पर भी सवाल उठने लगे हैं और यही कारण है कि इसे दर्जा प्रदान करने के मानदंड की जाँच करने की माँग भी बढ़ती जा रही है.

भारत के संविधान में निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट कर सकते हैं. इसके लिए कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किये गये हैं. जनजाति मामलों के मंत्रालय के अनुसार यद्यपि इसके मानदंड का कोई विधान तय नहीं किया गया है, फिर भी "स्थापित मान्यताओं" के अनुसार इसका निर्धारण किया जाता है. इन मान्यताओं में निम्नलिखित विशेषताओं को शामिल किया गया है, "आदिम" गुण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, विशाल समुदाय से "जुड़ने में संकोच" और "पिछड़ापन". ये सामान्य मानदंड 1931 की जनगणना की परिभाषाओं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1955 की रिपोर्टों, कालेलकर सलाहकार समिति और लोकुर समिति द्वारा तैयार की गई अनुसूचित जाति ध जनजातियों की पुनःसंशोधित सूचियों के आधार पर तय किये गये थे, परंतु आधी से अधिक सदी बीत जाने के बाद व्यापक मानदंडों में बहुत स्थलों पर विवेकाधिकार की बहुत गुंजाइश रह गई है.

नैतिक मूल्य हमारी संस्कृति की पहचान

अशिष्टता क्यों पनप रही है, इस पर गंभीर मंथन की जरूरत है। अशिष्टता के लिए हम युवा पीढ़ी को भी पूरी तर अशिष्टता क्यों पनप रही है, इस पर गंभीर मंथन की जरूरत है। अशिष्टता के लिए हम युवा पीढ़ी को भी पूरी तरह दोषी नहीं ठहरा सकते। इसके लिए परिवार, सामाजिक वातावरण व पड़ोस आदि भी जिम्मेदार हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी परवरिश का जिम्मा परिवार पर होता है। उसे जैसे संस्कार दिए जाते हैं वह बड़ा होकर उसी के अनुरूप चलता है। इसके साथ ही समाज का भी इसमें अहम योगदान होता है। इसलिए बच्चों को शुरू से अच्छे संस्कार दिए जाने चाहिए। जहां पर बच्चा गलत करे उसे बताना चाहिए। इसके लिए बच्चों को नैतिक मूल्यों के साथ अपनी संस्कृति से भी रूबरू करवाना चाहिए। नैतिक मूल्य हमारी संस्कृति की पहचान होते हैं।

जो आचार, विचार और व्यवहार हमारे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त न हों, उन्हें अशिष्टता की संज्ञा दी जाती है। परिवार में रहकर ही बच्चे को संस्कारों, नैतिकता व शिष्टाचार के बारे में सीखना होता है। परिवार में साथ रहकर बच्चा घर के सदस्यों के साथ व्यवहार करना शुरू करता है। जिसके संपर्क में बच्चा आता है उसी का व्यावहारिक असर उस पर होता जाता है। इसमें हमारा दायित्व यह है कि शिष्ट और अशिष्ट क्या है, इसके बारे में बच्चे को ज्ञान दें। आज के समय में बच्चों में

सहनशक्ति का अभाव हो रहा है। इसका कारण उनमें नैतिक मूल्यों की कमी का होना है। नैतिकता की कमी से उनमें अशिष्टता पैदा हो रही है। बच्चों में अनैतिकता का एक कारण माता–पिता के पास समय का अभाव होना भी है। इसे हम मुख्य कारण कह सकते हैं। आज किसी भी अभिभावक के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। वह तो उसके लिए धन एकत्रित करने में व्यस्त हैं। वह इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जिस बच्चे के लिए हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं वह कहां जा रहा है। अपना बहुमूल्य समय अभिभावक बच्चों को न देने के कारण भी बच्चे गलत राह पर चल पड़ते हैं।

तीन साल तक बच्चे को होश नहीं होता है, जब वह संस्कार, नैतिकता व शिष्टता के बारे में जानने योग्य होता है तो उसे स्कूल भेजा जाता है। उसके बाद वह ट्यूशन पढ़ने के लिए चला जाता है। जब तक वह माता–पिता के पास आता है तो थककर सोने के लिए चला जाता है। अभिभावक कुछ पूछने की कोशिश भी करें तो वह यह कहकर टाल देता है कि अभी थक चुका हूं। दूसरी सुबह फिर वही रूटीन शुरू हो जाती है। बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ व सीख रहा है, हमें मालूम ही नहीं होता। समय के साथ वह इतना बड़ा हो जाता है कि वह संस्कारविहीन हो जाता है। शिष्टाचार की उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। आज लोगों के पास पैसा तो काफी हो गया है, लेकिन जिसके लिए कमाया वह हमारी सोच के अनुसार कुछ नहीं कर रहा। जब बच्चे को हमारे साथ की जरूरत थी तो हम पैसे के पीछे भागते रहे और संस्कार, शिष्टाचार व नैतिकता नाम की चीज उसे मिल ही नहीं पाई। नैतिक मूल्य भारतीय संस्कृति की पहचान हैं, जोकि हमें हमारे पुरखों से विरासत में मिली अनमोल धरोहर हैं। संपूर्ण विश्व में भारत की पहचान नैतिकता से है। अफसोस की बात है कि आज की युवा पीढ़ी अपने रास्ते से भटक रही है। युवाओं का रुष्ठ और रूखा व्यवहार, बड़ों के प्रति अनादर, कुतर्क व मनमानी यह सब दर्शाता है कि युवाओं में नैतिक मूल्यों का स्तर किस हद तक गिर चुका है। कितनी अजीब बात है कि यह सब दशकों के एक छोटे से अंतराल में हो गया। आज से कुछ दशक पहले अपने से बड़ों का आदर करना व उन्हें उचित प्यार देना अपना कर्तव्य माना जाता था। लोग मिलनसार थे और रिश्तों में गर्माहट थी, लेकिन अब यह कहते हुए शर्म महसूस होती है कि जिन माता–पिता ने हमें बड़ा कर काबिल बनाया, वे ही बच्चों को बोझ लगने लगे हैं। यही अनैतिकता व अशिष्टता है। संस्कारों का पतन भी इसे कहा जाता है। आज का युवा मोबाइल फोन व सोशल साइट्स पर इतना खो गया है कि उनके पास दूसरों के लिए समय ही नहीं है।

बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास की शुरुआत कैसे करें?

बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास से मतलब है उन्हे अच्छे संस्कार देना और अपनी संस्कृति से रूबरू करवाना जिससे वे अपने साथ–साथ पूरे समाज को सही रास्ते पर ले जा सके। बच्चे हमारी परंपराओं के खेवनहार और देश का भविष्य होते हैं पर बच्चे में नैतिक मूल्यों की कमी उनके चरित्र

को तबाह कर देती है और वे छोटी उम्र में ही चोरी, बेइमानी और झूठ–धोखा करने लगते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे बच्चे बड़े होने पर देश और समाज का क्या भला करेंगे?

नैतिक मूल्यों की जरूरत क्यूँ है?

कोई बच्चा पढ़ाई–लिखाई में कितना भी होशियार हो पर यदि उसमें नैतिक शिक्षा का अभाव है तो सब बेकार है। नैतिकता हमारी शख्सियत को निखारने की पहली सीढ़ी है। नैतिकता ही वह खूबी है जो हमारे सामाजिक होने की पहचान कराती है और जीवन को बेहतर ढंग से जीना सिखाती है। बच्चों को नैतिक मूल्यों की जानकारी देना इसलिए जरूरी है ताकि वे अच्छे–बुरे, सही–गलत का फर्क समझ सकें और जान सकें कि क्या करने से समाज में आदर, सराहना और प्यार मिलता है और क्या करने से नहीं।

बच्चों को नैतिक मूल्यों की जानकारी देने के लिए क्या करें

बच्चे को नैतिक मूल्यों की जानकारी सबसे पहले परिवार में मिलती है। सबसे पहले मां–बाप ही बच्चों में नैतिक मूल्यों के बीज रोपते हैं। परिवार में ही बच्चा संस्कार, नैतिकता और शिष्टाचार की जानकारी पाता है जिससे वह जान सके कि समाज में बड़ों के साथ, अपने मित्रों के साथ और अन्य लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। यहाँ बच्चों को नैतिक मूल्यों की जानकारी देने के कुछ आसान तरीके बताए गऐ हैं–

समुदाय शिक्षा संस्थान के रूप में

प्रत्येक समुदाय की अनेक आवश्यकतायें तथा समस्यायें होती है।इन आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्यायों के समाधान के समुदाय का रहन–सहन ऊँचा उठता है तथा वह दिन–प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर होता है।जो समुदाय उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाता वह अपने सीमित क्षेत्र में अपनी सीमित आवश्यताओं और ढंगों वाली संस्कृति से ही लिपटा रहता है।इससे उसकी निर्धनता ज्यों की त्यों बनी रहती है।अतरू प्रत्येक समुदाय अपनी प्रगति के लिएय नई पीढ़ी को अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करता है।यही कारण है कि प्राचीन काल से लेकर अब तक समुदाय ने अपने प्रगति के लिए राजनितिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा सदैव अपने आदर्शों और उद्देश्यों के अनुसार मोड़ा है तथा अब भी मोड़ रहा है।इसलिए स्कूल को समाज लघुरूप की संज्ञा दी जाती है।ध्यान देने की बात है कि समुदाय शिक्षा संस्था के रूप में बालक को औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों रूप से शिक्षित करता है।निम्नलिखित पक्तिओं में हम शिक्षा संस्था के रूप में समुदाय के महत्व तथा उसके द्वारा बालक पर पड़ने वाले प्रभावों एवं कार्यों पर प्रकश डाल रहें हैं दृ

बालक की शिक्षा में समुदाय का महत्व

समुदाय ब्लाक की शिखा का एक महत्वपूर्ण सक्रिय तथा अनौपचारिक साधन हैं।जिस प्रकार बालक

की शिक्षा पर परिवार तथा स्कूल का गहरा प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार समुदाय भी बालक के व्यवहार में इस प्रकार से परिवर्तन करता है कि वह उस समूह के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने के योग्य बन जाता है जिसका वह सदस्य है।इसलिए यह कहावत अब भी चली आ रही है कि प्रत्येक बालक वैसा ही बन जाता है जैसा कि समुदाय के बड़े लोग उसे बनाना चाहते हैं।वास्तविक यह है की बालक जन्म से लेकर केवल पारिवारिक वातावरण में ही विकसित नहीं होता अपितु उसके विकास में समुदाय के विस्तृत वातावरण का भी गहरा प्रभाव पड़ता है।ये समुदाय के वातावरण को ही तो चमत्कार जिसमें रहते हुए बालक की प्रवृति, विचारधारा तथा आदतों का निर्माण होता है एवं उसकी संस्कृति, रहन–सहन तथा भाषा पर एक अमित छाप दिखाई पड़ती है।ध्यान देने की बात है कि समुदाय का वातावरण बालक की अनुकरण करने की जन्मजात प्रवृति को विशेष रूप से प्रभावित करता है।इसीलिए बालक उन लोगों का अनुकरण करने लगता है।जिनके कि वह सम्पर्क में आता है यदि वह अपने गाँव या नगर में रहने वाले गवैयों के सम्पर्क में आता है तो तो उसे गाने में रूचि उत्पन्न हो जाती है।ऐसे ही यदि वह श्रमिकों के सम्पर्क में आता है, तो उसे श्रम के प्रति श्रद्धा होने लगती है।इस प्रकार मेलों, जुलूसों, तथा उत्सवों एवं समुदाय के विभिन्न कार्यों में या तो सक्रिय रूप में भाग लेते हुए अथवा अनुकरण द्वारा बालक हर समय कुछ न कुछ सीखता ही रहता है।कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक बालक पर उस समुदाय का प्रभाव पड़े बिना किसी भी दशा में नहीं रह सकता जिसका कि वह सदस्य है।चूँकि प्रत्येक समुदाय की भाषा तथा संस्कृति अलग–अलग होती है, इसलिए प्रत्येक समुदाय के बालकों की संस्कृति भाषा तथा दृष्टिकोण एवं व्यवहार में स्पष्ट अन्तर दिखाई पड़ता है।इस दृष्टि से परिवार तथा स्कूल की भांति समुदाय भी बालक की शिक्षा का एक महत्वपर्ण साधन है।विलियम ए० ईगर ने ठीक ही लिखा है दृ " चूँकि स्वाभाव से मानव सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसमें वर्षों के अनुभव से सीख लिया है कि व्यक्तित्व तथा समहुहिक क्रियाओं का विकास सर्वोतम रूप में समुदाय द्वारा ही किया जा सकता है।"

1. घर के माहौल का महत्व –

जैसा ऊपर बताया गया है कि बच्चे का पहला स्कूल उसका घर होता है, तो सबसे पहले घर का माहौल स्नेहशील होना चाहिए। घर का माहौल खुशनुमा होना, घर में बड़ों को आदर होना, बोल–चाल में सभ्यता और सौम्यता, एक–दूसरे के प्रति लगाव जैसी बातों से बच्चे प्रेरित होते हैं और इन बातों को बड़ी जल्दी सीखते हैं।

2. दोस्ती–यारी का असर –

जब बच्चे एक–दूसरे के साथ खेलते हैं तो यह उनमें समाजीकरण की अहसास पैदा करता है। उसके समूह में बच्चे के कुछ गलत किए जाने पर उसे एसा न करने के लिए समझाना या कुछ अच्छा करने पर उसकी प्रसंसा करना उसके आचरण और बर्ताव पर असर करता है पर बच्चों की

संगत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बच्चा जिसके सम्पर्क में आता है, उसी का अनुसरण करता हैं। यह बात घर के बाहर भी लागू होती है। बच्चे घर से ज्यादा अपने यार–दोस्तों की संगत में सीखते हैं। अगर उसके साथियों में झूठ बोलना, चोरी करना जैसी आदतें है तो बच्चा बड़ी जल्दी उसका शिकार बनेगा।

मनोरंजन गतिविधि –

बच्चों को नैतिक मूल्यों की जानकारी के लिए मौज–मस्ती और मनोरंजन का किरदार भी अहम् है। अच्छी फिल्में, टीवी प्रोग्राम, कॉमिक्स, कहानियां बच्चों के लिए स्वस्थ्य मनोरंजन का साधन होने के साथ–साथ उनके कोमल मतिष्क पर बड़ी जल्दी असर करती हैं। माता–पिता को कोशिश करनी चाहिए कि वह बच्चों को बचपन से ही नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना शुरू करें। नैतिक मूल्यों की जानकारी बच्चों को सभ्य, चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार बनाती है।

विद्यालय संस्कृति क्या है और वह सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है?

जो विद्यालय एक सकारात्मक साझा संस्कृति का विकास करने और उसे कायम रखने में सक्षम होता है वह जानता है कि सीखने के लिए प्रभावी वातावरण विकसित करने में संस्कृति के कौन से पहलू महत्वपूर्ण होते हैंय वह अपने विद्यार्थियों को ये मूल्य जानबूझ कर सौंपता है। सामूहिक जागरूकता और कार्यवाही के माध्यम से, विद्यार्थियों के सीखने और उपलब्धि को बढ़ाने के लिए संस्कृति का सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है, चाहे छोटे कामों के माध्यम से जैसे सार्वजनिक समारोहा. ें में उपलब्धियों का उत्सव मनाना, या अधिक बड़े पैमाने की परियोजनाओं से जैसे पाठ्यचर्या के सुधार में योगदान करने के लिए शिक्षकों, विद्यार्थियों और अन्य हितधारकों के लिए प्रजातांत्रिक प्रक्रियाएं विकसित करना।

यद्यपि वह स्थिर दिखाई देती है, संस्कृति एक गतिशील अंतराल है जो कानूनों, नीतियों और नेतृत्व के परिवर्तनों से प्रभावित होता है। इसलिए ''विद्यालय प्रमुख'' का इस बात से अवगत रहना कि विद्यालय की संस्कृति को क्या चीज प्रभावित करती या बदलती है, चाहे जानबूझ कर या उसके बिना, और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सीखने और उपलब्धि के लिए संस्कृति को कभी जोखिम में न रखा जाय। अनुसंधान दर्शाता है कि यह सुनिश्चित करने में कि संस्कृति विद्यार्थियों की उपलब्धि का समर्थन करे, विद्यालय प्रमुख की महत्वपूर्ण भूमिका होती है (मैकनेल और अन्य, 2009)। लेकिन दृ जैसा कि बुलाक (2001) ने पहचाना है दृ कि विद्यालय प्रमुख को संस्कृति को बदलने का प्रयास करने से पहले उसे पहचानना चाहिए।

सकारात्मक विद्यालय संस्कृति को मोटे तौर पर निम्नलिखित को शामिल करके परिभाषित किया जा सकता है (चरित्र शिक्षा सहयोग, 2010) सामाजिक वातावरण, जिसमें एक सुरक्षित और देखभाल करने वाला वातावरण शामिल है जहाँ सभी विद्यार्थी आमंत्रित और महत्वपूर्ण महसूस करते हैं, और अपने

विद्यालय के प्रति अपनापन महसूस करते हैंय इससे विद्यार्थियों को उनके नैतिक विकास में मदद मिलती है

बौद्धिक वातावरण, जिसमें हर कक्षा के सभी विद्यार्थियों को उनका सर्वोत्तम कार्यप्रदर्शन करने और गुणवत्तापूर्ण काम करने के लिए सहयोग और चुनौती दी जाती हैय इसमें एक समृद्ध, कड़ी और जुड़कर करने वाली पाठ्यचर्या, और इसे पढ़ाने के लिए योग्य व शक्तिशाली अध्यापक समूह शामिल है

नियम और नीतियाँ जो विद्यालय के सभी सदस्यों को सीखने और व्यवहार के उच्च मानक. ों के लिए उत्तरदायी ठहराती हैं

परम्पराएं और दिनचर्याएं उन साझा मूल्यों से निर्मित जो विद्यालय के शैक्षणिक और सामा. जिक मानकों का सम्मान और उन्हें सुदृढ़ करती हैं

संरचनाएं स्टाफ और विद्यार्थियों को समस्याओं का समाधान करने और विद्यालय के वातावरण और उनके सामान्य जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने में और उसके लिए साझा उत्तरदायित्व प्रदान करने के लिए

विद्यार्थियों के सीखने और चरित्र के विकास में सहायता करने के लिए माता–पिता के साथ प्रभावी ढंग से काम करने के तरीके

संबंधों और व्यवहार के लिए नियम जो उत्कृष्टता और नैतिक परिपाटी की व्यावसायिक संस्कृ ति की रचना करते हैं।

कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धान्त

कोलबर्ग का नैतिक सिद्धान्त

ˆसन्दर्भ :–

झारखण्ड का जनजातीय जीवन

राजस्थान में जनजातियों के नाम हैं शौर्य गाथाएं (स्वतंत्र आवाज)

Chiefdom: Precursor of the Tribe\

Oldest organization in Asia protecting tribal culture

झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा an Adivasi organisation

जोहार सहिया (आदिवासियों की लोकप्रिय मासिक पत्रिका नागपुरी–सादरी भाषा में)

जोहार दिसुम खबर (12 आदिवासी भाषाओं में प्रकाशित भारत का एकमात्र पाक्षिक अखबार)

झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा

(आदिवासी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका)

आदिवासी समाज की सामाजिक वेबसाईट (आदिवासी समाज की सामाजिक वेबसाईट)

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

पेण्ड्रा पठार के भू–आकृति के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन

अमृता पाण्डेय
शोधार्थी
बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

प्रस्तावना :–

वर्तमान समय में भू–आकृति विज्ञान का उपयोग विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों के साथ जुड़ गया है। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव जीवन की आवष्यकता पूर्ति के क्षेत्रों में विभिन्न समस्याओं के हल के लिये भू–संसाधनों का अनुकूलतम या इस्टतम प्रयोग करने हेतु भू–आकृतिकीय विधियों तथा तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। इस हेतु भूमण्डल की विभिन्न आकारों की क्षेत्र इकाईयों के प्रणाली–विन्यासों को विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है।

भू–आकृति विज्ञान में प्रयुक्त अनेक सिद्धांत एवं निश्कर्श की मानवीय उपादेयता है। इसके ज्ञान का प्रयोग मानव की विभिन्न योजनाओं में किया जा रहा है, जिससे आपेक्षित सफलता प्राप्त हो रही है। वर्तमान समय तक इस विज्ञान में विद्वानों द्वारा अनेक अनुसंधान किये गये हैं, जिनका उपयोग मानव के व्यावहारिक जीवन में किया जा रहा है। प्रारंभिक स्वरूप भले ही इसका सैद्धांतिक माना जाता था, परन्तु आज यह अपने व्यावहारिक दृश्टिकोण के साथ अन्य विशयों में विषिश्ट स्थान सृजित कर लिया है।

भू–वैज्ञानिक संरचना, आनाच्छादन, कालक्रम, अपरदनात्मक प्रक्रम एवं उनकी स्थलाकृतियों आदि का अध्ययन मानव की अनेक समस्याओं के समाधान में समर्थ है तथा इसका उपयोग अन्य विशयों के अध्ययनों में भी किया जाता है। इसके ज्ञान से मानव ज्ञान के व्यावहारिक पहलू के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस विज्ञान में गणितीय समावेष जहाँ इसकी उत्कृश्टता प्रदान

किया है। वहीं अन्य विज्ञानों की भांति व्यावहारिक पहलु को भी सबल बनाया है। प्रादेषिक नियोजन, विकास की योजनायें बांध का निर्माण, सीमा निर्धारण, बाढ़ नियंत्रण, खनिज निस्कर्शण, हवाई पट्‌टी का निर्माण, सड़क एवं भवन निर्माण आदि में भू–आकृति विज्ञान के अध्ययनों का प्रयोग किया जाता है।

व्यवहारिक भू–आकृति :–

डी0के0सी0 जोन्स (1980) के अनुसार भूमि उपयोग संसाधन विदोहन, पर्यावरण प्रबंधन एवं नियोजन से संबंधित समस्याओं के समझने एवं निदान हेतु भ्वाकृति ज्ञान के उपयोग को व्यावहारिक भू–आकृति विज्ञान कहते हैं। वास्तव में भू–आकृति विज्ञानी सभी प्रकार भ्वाकृतिक षोध को व्यावहारिक समझते हैं, क्योंकि ज्ञान में प्रत्येक प्रगति इस बात का स्पश्ट बोध कराती है कि पृथ्वी कैसे कार्य करती है। इस तरह हम सभी व्यावहारिक विज्ञानी है। सविन्द्र सिंह एवं एस0एस0 ओझा (1996) के अनुसार संसाधन मूल्यांकन, सामाजिक, आर्थिक विकास एवं प्राकृतिक प्रकोप एवं आपदा के निवारण हेतु भ्वाकृतिक तकनीकों एवं भ्वाकृतिक तकनीकों एवं भ्वाकृतिक षोध से प्राप्त परिणामों का उपयोग व्यावहारिक भू–आकृति विज्ञान का प्रमुख पक्ष है।

स्थिति विस्तार :–

पेण्ड्रा पठार छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के अंतर्गत अध्ययन की इकाई क्षेत्र है। पेण्ड्रा पठार बिलासपुर जिले के उत्तरी भाग में विस्तृत पेण्ड्रा, मरवाही एवं पेण्ड्रा रोड (गौरेला) विकासखण्ड तहसील का उच्च भू–भाग है। पेण्ड्रा पठार से मुख्य सोन नदी का उद्‌गम पेण्ड्रा रोड नगर से 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में षिवमंदिर से युक्त सोन कुण्ड से हुआ है, जिसे ग्रामीण सोनबचरवार कहते हैं।

पेण्ड्रा पठार 22034'30'' से 23006'00'' उत्तरी अंक्षाषों एवं 81044'45' से 82012'00'' पूर्वी देषांतर के मध्य स्थित है। पेण्ड्रा पठार की प्राकृतिक सीमाओं में उत्तर–पष्चिम में सोन नदी घाटी, मैकल श्रेणी एवं उत्तर–पूर्व में हसदेव बेसिन व हसदेव नदी घाटी, दक्षिण में अरपा नदी बेसिन व अरपा नदी घाटी विस्तृत है। पेण्ड्रा पठार की सामान्य औसत ऊँचाई 533 मीटर है। पठार की अधिकतम ऊँचाई या अधिकतम ऊँचाई वाला भू–भाग समराह टोला के उत्तर में ब्राह्मनगढ़ (1217 मीटर) ऊँची चोटी है एवं निचला मैदानी प्रदेष पेण्ड्रा पठार का मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र है।

पेण्ड्रा पठार उत्तर में सोन व गुर्जर नदियों पूर्व में हसदो नदी व पष्चिम व दक्षिण में अरपा व उसकी सहायक नदियों से विच्छेदित है। पेण्ड्रा पठार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1986.375 वर्ग किलोमीटर है, जिसके 221 गाँव व 3 नगरों में 336420 व्यक्ति निवासित है। पेण्ड्रा रोड (गौरेला) पेण्ड्रा व मरवाही तहसील के अंतर्गत बिलासपुर जिले का 20.35ः क्षेत्र व 14.37ः जनसंख्या है।

अध्ययन का उद्देष्य :–

1) प्रस्तुत षोध–पत्र में अध्ययन क्षेत्र पेण्ड्रा पठार के व्यवहारिक भू–आकृति विज्ञान का अध्ययन एवं विष्लेशण करना।

2) प्रस्तुत षोध–पत्र में अध्ययन क्षेत्र पेण्ड्रा पठार के भू–आकृति के व्यवहारिक पक्ष का मानव जीवन पर पड़ रहे प्रभावों का अध्ययन करना।

आंकड़ों का संकलन :–

प्रस्तुत षोध अध्ययन के लिए आंकड़ों का संकलन द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। आंकड़ों का संकलन विभिन्न षासकीय एवं अषासकीय विभागों तथा जनगणना रिपोर्ट 2001 एवं 2011 के आंकड़ों से संकलित किए गए हैं। अध्ययन में आंकड़ों के संकलन के पष्चात् उनका अध्ययन एवं विष्लेशण किया गया है।

प्रस्तुत षोध–पत्र में पेण्ड्रा पठार के भू–आकृति के व्यवहारिक पक्ष हेतु विभिन्न बिन्दुओं पर अध्ययन किया गया है।

स्थिति विस्तार

भू–आकारिकी एवं जनसंख्या, अधिवास :–

किसी भी क्षेत्र प्रदेष, देष का विकास वहाँ निवास करने वाले मानव संसाधन पर निर्भर करता है तथा भौगोलिक वातावरण पर प्रभाव डालने वाला एक प्रमुख तत्व जनसंख्या है किसी क्षेत्र विषेश की आर्थिक तथा व्यापारिक उन्नति वहॉ के जनसंख्या के घनत्व तथा वितरण पर आधारित है जनसंख्या पर कृशि का, कृशि का जनसंख्या का पर पत्यक्ष प्रभाव पड़ता है जनसंख्या भी एक संसाधन है जनसंख्या के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, परन्तु जनसंख्या की अधिकता भी क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न करती है वहीं जनसंख्या के न्यूनता के कारण उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता। किसी भी क्षेत्र में उतनी ही जनसंख्य होनी चाहिए जितना कि उनके अधीन अनुकूल संसाधन उपस्थित हो, अर्थात् जनसंख्या संसाधनों के अनुपात संतुलित होना चाहिए तभी उस क्षेत्र का आर्थिक विकास संभव है।

अध्ययन क्षेत्र पेण्ड्रा पठार में जनसंख्या का सर्वाधिक वितरण पठार के मध्यवर्ती क्षेत्रों में है क्योंकि यह क्षेत्र पठर में अपेक्षाकृत कम उच्चावच ऊँचाई वाला समतल भू–भाग है। जनसंख्या का सकेन्द्रण उन क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है जहॉ भूमि समतल हो। समतल भूमि के कारण वहॉ परिवहन का विकास एवं अन्य सुविधाऍ संभव हो पाती है।

पेण्ड्रा पठार – जनसंख्या का वितरण

स्त्रोत : जनगणना 2001, 2011, जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2013–14

पेण्ड्रा पठार – जनसंख्या घनत्व

स्त्रोत : जनगणना 2001, 2011 जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2013–14

व्यवहारिक भू–आकृति विज्ञान के अंतर्गत जनंसख्या का अध्ययन करना आवष्यक होता है क्योंकि स्थलाकृतियों के स्वरूप पर जनसंख्या निर्भर करती है। पेण्ड्रा पठार के पेण्ड्रा विकासखण्ड में जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 85481 व्यक्त्ति गौरेला (पेण्ड्रारोड) में 131135 एवं मरवाही में 116804 व्यक्ति है। जनसंख्या घनत्व पेण्ड्रा विकासखण्ड में 245 व्यक्ति प्रति वर्ग कि. मी. पेण्ड्रारोड में 141 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. एवं मरवाही में 116 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है। सबसे अधिक दषकीय जनसंख्या वृद्धि अधिक होने का मुख्य कारण इस क्षेत्र में पेण्ड्रा व मरवाही की तुलना में परिवहन का विकास अधिक हुआ है।

पठारी पहाड़ी होने से अधिकतम सघन मानवीय बस्तियॉ अनेक उद्देष्यों की पूर्ति करती है। इनमें आवासीय गृहों से लेकर, प्रषासनिक व्यावसायिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि विभिन्न क्रिया कलाप

संपन्न होते हैं। आधुनिक इमारतों के निर्माण में षैल संरचना ढाल उच्चावच आदि दषाऍं विषेश रूप से विचारणीय तथा महत्वपूर्ण होती है। जनसाधारण के लिये स्वास्थ्य तथा आरोग्य केन्द्रों, अस्पतालों आदि का निर्माण करते समय उपयुक्त अवस्थिति के अतिरिक्त क्षेत्र की षैल संरचना का भी ध्यान रखा जाता है। स्वास्थ्य लाभ केन्द्रों की स्थापना में उच्चावच तथा भू–आकृतियों का विचार सर्वोपरि होता है।

अध्ययन क्षेत्र पेण्ड्रा पठार उच्चावच दृश्टि से विभिन्नतायें लिये हुये हैं। यह क्षेत्र पठारी एवं पहाड़ी होने के कारण कम जनसंख्या एवं यहाँ अधिवास प्रतिरूप बिखरे हुए है। चूंकि पठार सघन वनों से आच्छादित है अतः मध्यवर्ती कम ऊँचाई वाला समतल क्षेत्र है। वहॉ पर अधिवासों का विकास धीरे–धीरे हो रहा है।

भू–आकारिकी एवं कृशि भूमि उपयोग :–

अध्ययन क्षेत्र पेण्ड्रा पठार बिलासपुर जिले का उच्च भू–भाग है। जिसकी औसत ऊँचाई 533 मीटर है। पठार का 50 प्रतिषत से अधिक भाग सघन वनक्षेत्र 53.04 प्रतिषत एवं कृशि भूमि 33.40 प्रतिषत, पेण्ड्रारोड में वनक्षेत्र 40.75 प्रतिषत एवं कृशि भूमि 41.80 प्रतिषत तथा मरवाही में वनक्षेत्र 37.98 प्रतिषत तथा कृशि भूमि 37.33 प्रतिषत है। पठार में भूमि उपयोग में सर्वाधिक भूमि वन क्षेत्र के रूप में जबकि इसकी तुलना में निराफसली का क्षेत्र कम है ऊँचाई में विभिन्नता के कारण यहॉ कृशि भूमि का अधिक विकास नहीं हो पाया है।

पेण्ड्रा पठार – भूमि उपयोग

स्त्रोत : जनगणना 2001, 2011, जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2013–14

कृशि के अंतर्गत पेण्ड्रा पठार में मुख्य रूप से खरीफ की फसल ली जाती है सिंचाई की सुविधा में कमी होने के कारण रबी फसल का उत्पादन बहुत ही कम है। खरीफ फसल के अंतर्गत एवं पठार के मृदा स्वरूप के वितरण के आधार पर इस क्षेत्र में मोटे अनाज कोदो, कुटकी अनाज, दालें, तिलहन, रेषे युक्त सफल एवं असाधारण फसलों का उत्पादन किया जाता है। कृशि तकनीक एवं विधि जानक. ारी के अभाव षिक्षा की कमी के कारण अभी भी परम्परागत कृशि की जाती है। पेण्ड्रापठार की भूमि में विशमता सघन वनों एवं निराफसली क्षेत्र कम होने के कारण यहॉ जोत का आकार भी छोटा है यहॉ सीमांत कृशक सबसे अधिक 60 प्रतिषत है। जबकि वृहद कृशक 0.36 प्रतिषत है। सिंचाई के साधनों में मुख्य साधन नलकूप एवं तालाब है। पठार में जल संसाधन के रूप में नदियों का जला बिछा हुआ है किन्तु धरातलीय असमानता के कारण यहॉ बांधों का निर्माण नहीं हुआ है। छोटे–छोटे चेकडेम बनाकर नदियों के जल का उपयोग किया जाता है।

भू–आकारिकी एवं जल विज्ञान :–

मानव जीवन में जल एक मूलभूत आवष्यकता है। इसके विविध स्त्रोत है जैसे नदी, झील, जल स्त्रोत कुँआ, तालाब आदि। प्रत्येक का गुण तथा उपयोग का अध्ययन स्थलाकृति के संदर्भ में किया जाता है।

अध्ययन क्षेत्र पेण्ड्रा पठार में छोटी–बड़ी नदियों का जल संपूर्ण पठार में फेला हुआ है यहॉ नदियॉ विभिन्न ऊँचाइयों एवं तीब्रगामी ढाल युक्त क्षेत्र उद्गामित होती है तथा पठार में जल प्रपात व छोटे–छोटे झरने बनाते हुए प्रवाहित होती है। अध्ययन क्षेत्र में उच्चावच की असमानता एवं विशमता के कारण यहॉ नदियों पर कोई बाढ़ का निर्माण नहीं हुआ है। किन्तु विभिन्न स्थानों पर नदियों के जल को स्आप डेम बनाकर जल का उपयोग घरेलू कार्य , सिंचाई कार्य, कृशि कार्य में उपयोग किया जाता है। अरपा अपवाह बेसिन के अंतर्गत मलिनिया नाला में एक स्टाप डेम निर्मित है। जिससे उस क्षेत्र में जल की पूर्ति विभिन्न कार्यों हेतु की जाती है। इसी प्रकार सभी लघु अपवाह बेसिन के जल का उपयोग यहॉ निवासरत व्यक्ति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में करते हैं।

भू–आकारिकी एवं संसाधन :–

बीसवीं षताब्दी में तेजी से जनसंख्या वृद्धि होने के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता गया, जिससे इन संसाधनों के ह्ास तथा विनाष की दर चिन्ताजनक हो गयी है। अन्य जीवों की भॉति मनुश्य भी अपनी भोजन ऊर्जा के लिये तथा कच्चे मालों, जल खनिज आदि के लिये पर्यावरणीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

अध्ययन क्षेत्र पेण्ड्रा पठार में संसाधन की दृश्टि से वन संसाधन प्रमुख है। यह क्षेत्र खनिज ससाधन की दृश्टि से सम्पन्न नहीं है। पठार का 50 प्रतिषत से अधिक भाग सघन वनों से आच्छादित है। पेण्ड्रा पठार के वन क्षेत्रों में सर्वाधिक वनों का विस्तार पठार के दक्षिण, दक्षिण–पूर्व एवं दक्षिण–पष्चिम क्षेत्रों पेण्ड्ररोड (गौरेला) विकासखण्ड में हैं जो कुल वन का 41.85 प्रतिषत है।

मरवाही में 39.10 प्रतिषत व पेण्ड्रा विकासखण्ड में सबसे कम 18.99 प्रतिषत का वनक्षेत्र है। यहॉ मुख्य रूप से साल, सागौन, मिश्रित वन क्षेत्र है। यहॉ मुख्य रूप से साल, सागौन, मिश्रित वनों, बांस के वनों का विस्तार है।

साल एवं सागौन वन संसाधन के अंतर्गत बहुमूल्य एवं महत्वपूर्ण संसाधन है। जिसका विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है। चाहे व घरेलू फर्नीचर हो या छोटे–बड़े उद्योग में। इसी प्रकार वन संसाधन के अंतर्गत सभी प्रकार के वन जो पेण्ड्रा पठार उपलब्ध है। सबका अपना प्राकृतिक सामाजिक एवं आर्थिक महत्व है। वन संसाधन की प्रचुर उपलब्धता के कारण इन क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हो रहा है।

पठार के अंतर्गत आने वाले विकासखण्डों में निकटवर्ती बाजारों में यहॉ के वन से प्राप्त औशधि, फल एवं बास से बनी कलाकृतियॉ, बॉस के टोकरियॉ अधिकाधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं।

जल संसाधन एवं मानव संसाधन की प्रचुरता के कारण यह क्षेत्र एक विषिश्ट लघु आकारिकी प्रदेष के रूप में तथा उच्चावचीय विशमता एव नदियॉ साथ ही जल प्रपात व छोटे–छोटे झरने, नदियों पर बनाये गये स्टाप डेम यहॉ के स्थानीय लोगों के मनोरंजन के साधन के रूप में है। भविश्य में इस क्षेत्र का विकास होने पर यहॉ पर्यटन की संभावनाऍ बढ़ जायेगी।

भू–आकारिकी एवं पर्यावरण :–

अध्ययन क्षेत्र पेण्ड्रा पठार उच्चावच जलीय संसाधनों एवं भू–आकृतिक प्रक्रमों की दृश्टि से विषिश्ट क्षेत्र के रूप में परिलक्षित होता है। पठार में उच्चावच संबंधी विभिन्नता विद्यमान है। पठार की उत्तरीय भाग, मध्यवर्ती भाग, उत्तर –पष्चिम भाग सोन बेसिन अपवाह क्षेत्र है। जिसकी ऊँचाई 400 से 600 मीटर तक, दक्षिण पष्चिम क्षेत्र मैकल उच्च भूमि 600 से 1200 मीटर, दक्षिण–पष्चिमी भाग अरपा बेसिन अपवाह क्षेत्र 400 से 600 मीटर तक ऊँचा है।

उच्चावच विभिन्नता के कारण यहॉ विभिन्न प्रकार की सिलाकृतियॉ दृश्टिगोचर होती है तथा यह सोन, अरपा एवं हसदो नदी के लिए जल विभाजक के रूप में है एवं इन क्षेत्रों में विभिन्न नदियॉ निकलकर अनेक दिषाओं में प्रवाहित होती है। उच्चावच विभिन्नता के कारण यहॉ सड़कों एवं बस्तियों का आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। सघन वन क्षेत्र, नदियों का घना जाल एवं पठारी, पहाड़ी क्षेत्र, जलप्रपात, झरने आदि पठार के पर्यावरण को एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करती है। भविश्य में पर्यावरणीय नियोजन में पर्यटन क्षेत्र के रूप में इसका विकास किया जा सकता है।

आकारिकी एवं प्रादेषिक नियोजन :–

प्राकृतिक प्रदेष प्रादेषिक नियोजन के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रस्तुत करते हैं। भू–आकृति वैज्ञानिकों का उद्देष्य होना चाहिए कि वैष्विक स्तर पर ऐसे प्रदेषों का सीमांकन करे

तथा उसके विकास की योजनायें प्रस्तुत करें। यदि वैष्विक अथवा महाद्वीपीय स्तर पर लघु स्तर के प्रदेषों का विभाजन कर लिया जाये तब उसके अध्ययन के समय यह स्वतः स्पश्ट हो जायेगा कि बहुत से प्रदेष की समस्यायें एक जैसी है तथा उनका समाधान एक ही जैसा होगा। जिस देष के प्रदेष होंगे उनको प्रादेषिक नियोजन में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि समस्याओं एवं समाधान भू–आकृति वैज्ञानिकों द्वारा स्पश्ट की जा चुकी रहेंगी। उन्हें केवल अपनी सुविधा एवं संसाधन उपलब्धता के आधार पर परिवर्तन एवं संषोधन करना पड़ेगा।

निश्कर्श :–

अध्ययन क्षेत्र के व्यवहारिक भू–आकृति विभान के भू–आकारिकी संबंधित अध्ययन से स्पश्ट होता है कि पेण्ड्रा पठार उच्चावच विभिन्नता, धरातलीय स्वरूप, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियों, नदियों आदि के द्वारा यह छत्तीसगढ़ प्रदेष में एक विलक्षण ईकाई के रूप में है। पेण्ड्रा पठार एक ऐसा क्षेत्र है जहॉ से गंगा अपवाह क्रम की सोन नदी, महानदी अपवाह क्रम की अरपा जो षिवनाथ की मुख्य सहायक नदी है तथा पेण्ड्रा पठार की पष्चिमी सीमा में सीमा रेखा के रूप में है। पेण्ड्रा पठार जल संसाधन की दृश्टि सेविकास की संभावनाऍ लिये हुए हैं। भविश्य में इन संसाधनों का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है।

संदर्भ–सूची

1. गौतम अल्का – ''भूआकृति विज्ञान'' रस्तोगी पब्लिकेषन मेरठ, पृ. सं.364–368.
2. प्रसाद गायत्री – ''भूआकृति विज्ञान'' 2008 षारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद, पृ.सं. 393.
3. सिंह सविन्द्र :– ''भू–आकृति विज्ञान 2007'' वसुन्धरा प्रकाषन, गोरखपुर, पृ.सं. 576.